# IV वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन और कार्यनिष्पादन

*वर्ष 2018-19 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता का सात वर्षों के अंतराल के पश्चात कायापलट हुआ। बैंकिंग क्षेत्र में 2019-20 के पूर्वार्द्ध में, प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं में सहगामी कमी होने के साथ, लाभप्रदता की भी बहाली हुई। यद्यपि, पुनर्पूंजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को उनके पूंजी अनुपातों में मजबूती लाने में मदद मिली। दिवाला और शोधन अक्षमता कोड को मजबूती मिलने से समाधानों में तेजी आई। इसके अलावा, 2017-18 में प्रारंभ हुई ऋण वृद्धि की बहाली की गति 2018-19 में बनी रही, जिसकी अगुआई निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने की। इन लाभों के बावजूद, 2019-20 में ऋण वृद्धि कमजोर हो गई है। हालांकि, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर बरकरार है और बैंकिंग क्षेत्र में आगे होने वाले सुधार समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर हैं।*

## 1. परिचय

IV.1 वर्ष 2018-19 में भारत के वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में परिवर्तन का एक नया स्वरूप देखा गया। सात वर्षों तक स्थिति खराब रहने के बाद दबावपूर्ण आस्तियों के कुप्रभाव में कमी आई, और नई कमजोरियों का पता चला। प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में सहगामी कमी होने से लंबे समय तक बने रहने वाले दबाव के बाद निवल लाभ (बॉटम लाइन) में थोड़ा सुधार हुआ, और दो वर्षों के अंतराल के बाद 2019-20 के पूर्वार्द्ध में बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता की बहाली हुई। इस दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण होने से उनके पूंजीगत आधार को मजबूती मिली तथा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) में मजबूती आने की शुरुआत हुई, जिससे समाधानों में इजाफा हुआ।

IV.2 इस पृष्ठभूमि के साथ, इस अध्याय में 2018-19 और 2019-20 में अब तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों का विश्लेषण किया गया है, जिसकी पुष्टि खंड 2 में ऑफ-साइट पर्यवेक्षीय विवरणियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी से हुई है। इस आधार पर, 94 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन और उनकी वित्तीय मजबूती को खंड 3 और 4 में दर्शाया गया है। खंड 5 से 11 में समीक्षाधीन अवधि के दौरान महत्व प्राप्त करने वाले विशिष्ट प्रकरणों, यथा – ऋण का क्षेत्रगत परिनियोजन, पूंजी बाजार अंतरापृष्ठ (इंटरफेस), स्वामित्व के ढंग, भारत स्थित विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों के सीमा-पार परिचालन, भुगतान प्रणाली की गतिविधियां, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेशन; पर ध्यान दिया गया है। खंड 12-15 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) से संबंधित गतिविधियों का भी विश्लेषण किया गया है। खंड 16 में विश्लेषण से उभरने वाले प्रमुख मुद्दों को एक साथ प्रस्तुत करने के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

## 2. तुलन-पत्र का विश्लेषण

IV.3 वर्ष 2018-19 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन-पत्र में 2010-11 के बाद पहली बार तेज गति से विस्तार हुआ। यह तेजी देयता पक्ष में जमाराशियों के बढ़ने और आस्ति पक्ष में ऋणों और अग्रिमों के बढ़ने से आई (चार्ट IV.1 ए एवं बी)।

IV.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्तियों में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) का योगदान एक तिहाई से भी कम रहने के बावजूद, इन बैंकों ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन-पत्र में विस्तार की अगुआई की और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की तरफ से हुई मंदी को निरस्त किया (सारणी IV.1)। इसके अलावा, 2019-20 के पूर्वार्द्ध में बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में समग्र रूप से सुधार होने पर भी ऋण वृद्धि में हो रही कमी चिंता के विषय के रूप में उभरी है।

**चार्ट IV.1: एससीबी का तुलन-पत्र**

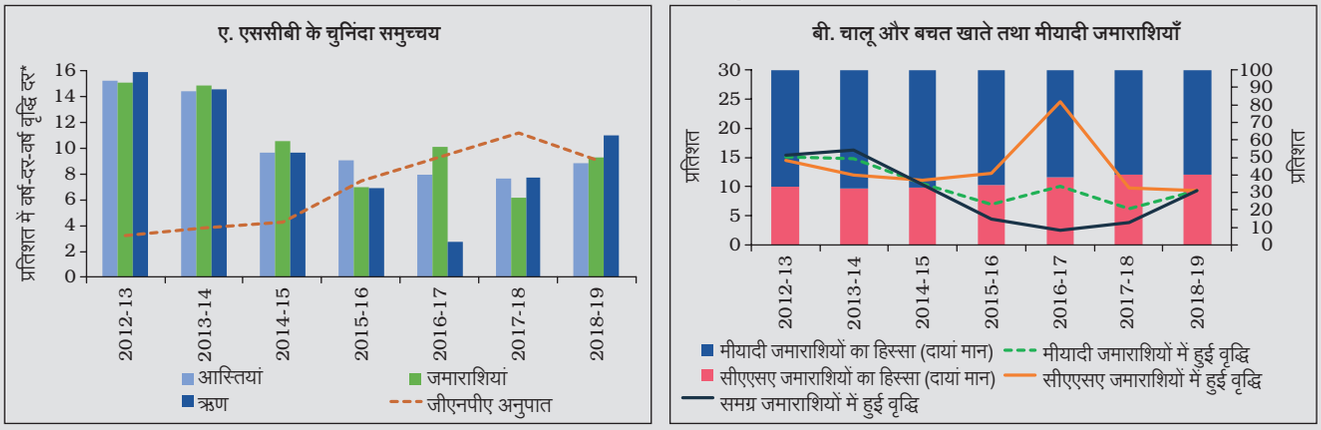


*: जीएनपीए अनुपात को छोड़कर, जो प्रतिशत में है।

**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), भा.रि. बैंक।

**सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन-पत्र**

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | | निजी क्षेत्र के बैंक | | विदेशी बैंक | | विदेशी बैंक | | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1. पूंजी | 33,154 | 51,060 | 11,592 | 21,344 | 67,883 | 77,809 | 3,498 | 4,213 | 1,16,127 | 1,54,427 |
| 2. आरक्षित निधियां और अधिशेष | 5,55,840 | 5,46,066 | 4,31,966 | 5,27,665 | 88,305 | 96,979 | 3,659 | 5,821 | 10,79,770 | 11,76,531 |
| 3. जमाराशियां | 82,62,322 | 84,86,215 | 30,13,688 | 37,70,013 | 4,94,901 | 5,81,857 | 23,094 | 49,178 | 1,17,94,005 | 1,28,87,262 |
| 3.1 मांग जमाराशियां | 5,43,630 | 5,52,461 | 4,37,408 | 5,17,356 | 1,43,538 | 1,71,907 | 966 | 1,955 | 11,25,543 | 12,43,679 |
| 3.2 बचत बैंक जमाराशियां | 26,56,496 | 27,99,445 | 8,73,671 | 10,45,648 | 57,297 | 59,459 | 4,283 | 7,245 | 35,91,747 | 39,11,797 |
| 3.3 मीयादी जमाराशियां | 50,62,196 | 51,34,309 | 17,02,609 | 22,07,008 | 2,94,066 | 3,50,491 | 17,845 | 39,978 | 70,76,715 | 77,31,786 |
| 4. उधारियां | 8,47,034 | 7,61,612 | 6,88,188 | 7,75,324 | 1,27,690 | 1,51,367 | 19,398 | 21,367 | 16,82,309 | 17,09,670 |
| 5. अन्य देयताएं और प्रावधान | 3,36,551 | 3,17,985 | 1,53,488 | 2,03,591 | 90,777 | 1,48,801 | 2,006 | 2,957 | 5,82,822 | 6,73,335 |
| **कुल देयताएं/आस्तियां** | **1,00,34,901** | **1,01,62,938** | **42,98,921** | **52,97,937** | **8,69,556** | **10,56,813** | **51,655** | **83,537** | **1,52,55,033** | **1,66,01,224** |
| 1. भा.रि. बैंक में धारित नकदी और जमाशेष | 4,48,477 | 4,55,974 | 2,40,318 | 2,06,654 | 40,017 | 33,657 | 1,519 | 2,328 | 7,30,330 | 6,98,613 |
| 2. बैंकों में धारित जमाशेष और मांग तथा अल्पकाल में देय मुद्रा | 3,92,213 | 3,59,507 | 1,26,056 | 1,75,076 | 73,275 | 91,098 | 3,254 | 4,054 | 5,94,797 | 6,29,733 |
| 3. निवेश | 27,91,858 | 27,02,386 | 10,11,814 | 12,19,517 | 3,12,582 | 3,83,415 | 9,983 | 14,952 | 41,26,237 | 43,20,270 |
| 3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (ए+बी) | 23,19,205 | 21,98,041 | 7,57,400 | 9,48,803 | 2,59,876 | 3,19,575 | 8,031 | 11,632 | 33,44,513 | 34,78,051 |
| ए) भारत में | 22,89,822 | 21,67,070 | 7,51,458 | 9,30,104 | 2,52,063 | 3,05,772 | 8,031 | 11,632 | 33,01,375 | 34,14,578 |
| बी) भारत से बाहर | 29,383 | 30,970 | 5,942 | 18,699 | 7,813 | 13,803 | - | - | 43,138 | 63,473 |
| 3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 244 | 157 | - | - | - | - | - | - | 244 | 157 |
| 3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियां | 4,72,409 | 5,04,188 | 2,54,414 | 2,70,714 | 52,706 | 63,840 | 1,952 | 3,320 | 7,81,480 | 8,42,062 |
| 4. ऋण एवं अग्रिम | 56,97,350 | 59,26,286 | 26,62,753 | 33,27,328 | 3,51,016 | 3,96,724 | 34,879 | 59,491 | 87,45,997 | 97,09,829 |
| 4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल | 2,34,188 | 1,66,381 | 95,125 | 1,17,234 | 74,201 | 76,557 | 0 | 4 | 4,03,515 | 3,60,177 |
| 4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट इत्यादि | 24,14,793 | 24,89,272 | 7,86,825 | 9,45,461 | 1,44,602 | 1,66,037 | 4,022 | 5,948 | 33,50,242 | 36,06,719 |
| 4.3 मीयादी ऋण | 30,48,368 | 32,70,633 | 17,80,803 | 22,64,633 | 1,32,212 | 1,54,129 | 30,856 | 53,538 | 49,92,240 | 57,42,934 |
| 5. अचल आस्तियां | 1,10,041 | 1,07,318 | 26,293 | 36,142 | 4,509 | 4,426 | 1,031 | 1,251 | 1,41,874 | 1,49,137 |
| 6. अन्य आस्तियां | 5,94,962 | 6,11,466 | 2,31,688 | 3,33,221 | 88,157 | 1,47,493 | 990 | 1,461 | 9,15,797 | 10,93,641 |

**टिप्पणी :** 1. -: शून्य/नगण्य।

2. रिज़र्व बैंक द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को विनियामकीय उद्देश्यों के लिए 21 जनवरी, 2019 से पीवीबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इस अध्याय में, यदि अलग से उल्लेख न किया गया हो, इसे 2017-18 में पीएसबी के रूप में तथा 2018-19 में पीवीबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. #: आंकड़े मार्च 2018 और मार्च 2019 के अंत तक क्रमश: छह और सात लघु वित्त बैंक से संबंधित हैं।
4. संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित करने के कारण घटकों का जोड़ उनसे संबंधित जोड़ से भिन्न हो सकता है।
5. वार्षिक खातों पर विस्तृत बैंक-वार डेटा का मिलान किया जाता है और भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाओं में प्रकाशित की जाती है। यह https://www.dbie.rbi.org.i+n में उपलब्ध है।

**स्रोत :** संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

### *2.1 देयताएं*

IV.5 जमाराशियों में, जिनसे मार्च 2019 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल देयताओं का 77.6 प्रतिशत हिस्सा निर्मित हुआ, 2016-17 में विमुद्रीकरण से उत्पन्न होने वाली मंदी को छोड़कर, 2009-10 से प्रारंभ हुई दीर्घकालिक मंदी की स्थिति में सुधार हुआ। इस उलटफेर से प्रतिकूल आधार प्रभाव पर काबू पाया जा सका और इसकी अगुआई मुख्यत: मीयादी जमाराशियों में आई तेजी ने की (चार्ट IV.2 ए)। निजी बैंकों ने मीयादी जमाओं[1] में हुई इस वृद्धि का महत्वपूर्ण अर्थात् 77 प्रतिशत हिस्से को आकर्षित किया, जो प्राथमिक रूप से उनके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरें रखे जाने को दर्शाता है (चार्ट IV.2 बी)। चालू और बचत खाता (सीएएसए) जमाओं में मीयादी जमाओं के साथ तेजी बनी रही, और इन जमाओं ने कुल जमाराशि में अपना 40 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखा। जमाराशि जुटाने में हुए विस्तार ने बैंकों की, विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की, उधार लेने की आवश्यकताओं को संतुलित किया (चार्ट IV.2 सी एवं डी)।

### *2.2 आस्तियां*

IV.6 ऋणों एवं अग्रिमों, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के तुलन-पत्र के आस्ति पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, की वृद्धि में 2017-18 से प्रारंभ हुए पुनरुज्जीवन में 2018-19 में गतिशीलता बनी रही (चार्ट IV.3)। यह गतिशीलता पूर्णता के करीब पहुंचने वाली अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को मान्यता देने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण तथा दिवाला और शोधन अक्षमता (आईबीसी) कोड के तहत चल रही समाधान प्रक्रिया से ऋण संबंधी परिस्थितियों में सुधार लाने में मदद मिली।

**चार्ट IV.2: एससीबी की जमाराशियाँ और उधारियाँ**

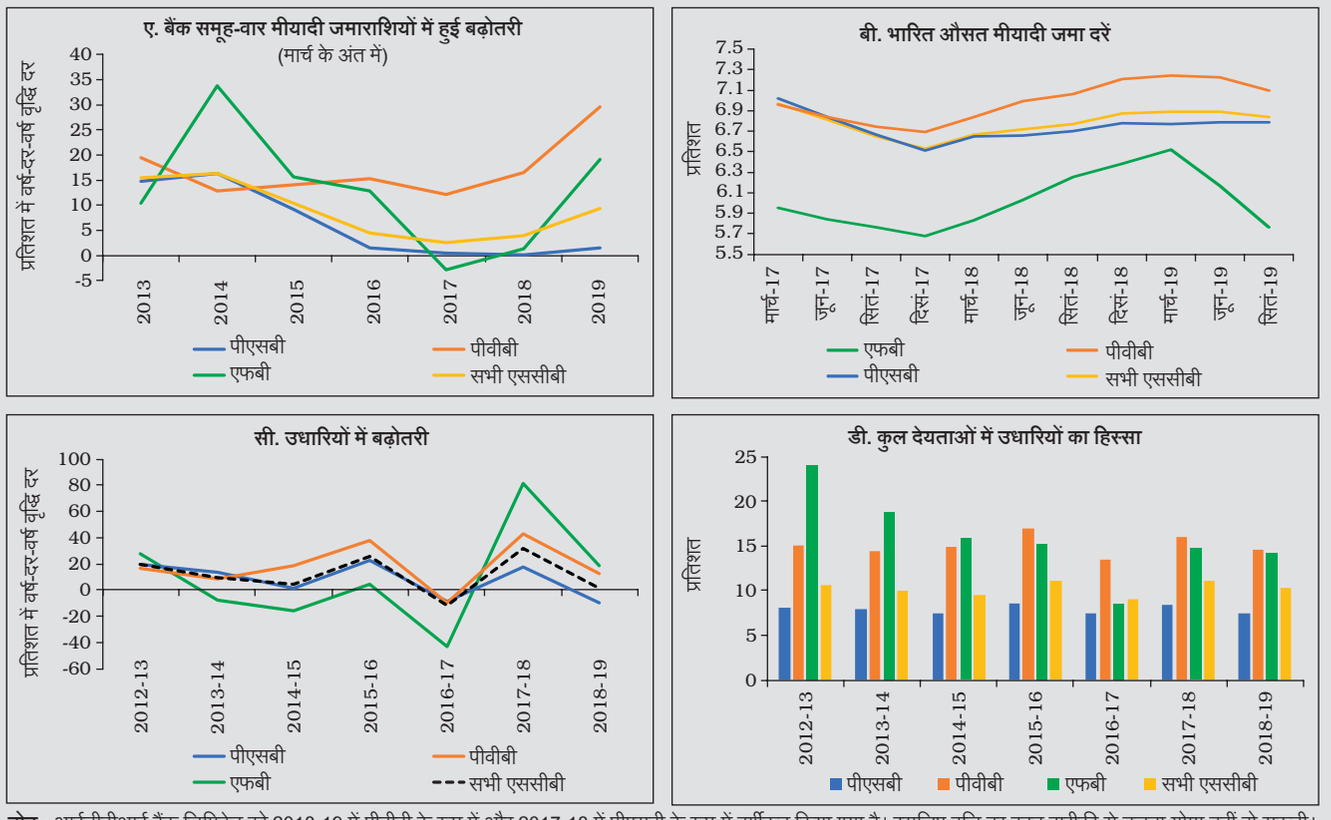


**नोट :** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 2018-19 में पीवीबी के रूप में और 2017-18 में पीएसबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए वृद्धि दर बहुत बारीकी से तुलना योग्य नहीं हो सकती।
**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा, भा.रि. बैंक।

[1] वर्ष 2016 से 19 के दौरान मीयादी जमाओं में हुई सतत वृद्धि में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की औसत हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2011 से 2015 के दौरान यह 19 प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से संबंधित समरूप संख्याएं क्रमश: 13 प्रतिशत और 77 प्रतिशत रही हैं।

**चार्ट IV.3: बैंक समूह-वार अग्रिमों में वृद्धि**
(मार्च के अंत में)

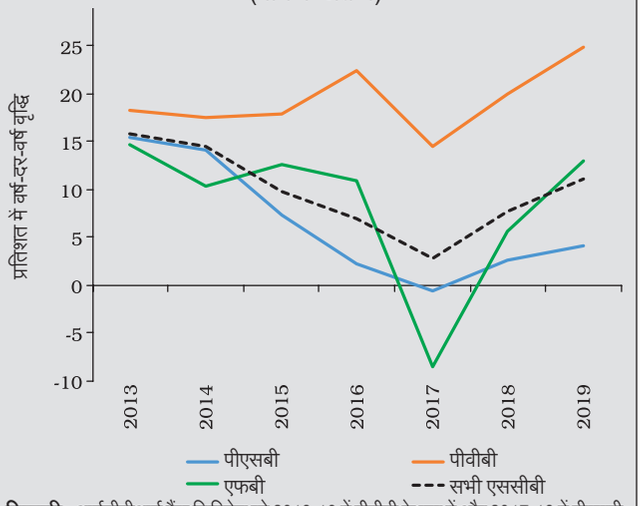


**टिप्पणी :** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 2018-19 में पीवीबी के रूप में और 2017-18 में पीएसबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए वृद्धि दर बहुत बारीकी से तुलना योग्य नहीं हो सकती।
**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

IV.7 ऋण वृद्धि की अगुआई निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने की। वर्ष 2018-19 में वृद्धिशील ऋणों में उनकी हिस्सेदारी 69 प्रतिशत थी (चार्ट IV.4 ए), जो वृद्धिशील जमाओं[2] में उनकी हिस्सेदारी के अनुरूप रही। परिणामस्वरूप, बकाया ऋण में उनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई (चार्ट IV.4 बी)। हालांकि, 2019-20 की पहली छमाही में सभी बैंक समूहों की ऋण वृद्धि मंद हो गई है।

IV.8 भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में ऋण अनुपात उभरते बाजारों वाले अपने साथी देशों[3] की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। जीडीपी की तुलना में वृद्धिशील ऋण का अनुपात 2016-17 से बढ़ता रहा है (चार्ट IV.5ए), हालांकि ऋण-जीडीपी अंतराल ऋणात्मक[4] बना हुआ है, जो वित्तीय पैठ को और अधिक सघन बनाने की क्षमता का परिचायक है। बकाया ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात में 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष भी मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में ऋण विस्तार की अगुआई करने के कारण निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) का यह अनुपात सर्वाधिक रहा (चार्ट IV.5बी)।

IV.9 2018-19 में निवेश में, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के आस्ति पक्ष में दूसरा सबसे बड़ा घटक है, मंदी आई क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपना निवेश कम कर दिया। इस कमी से ऋण वृद्धि की ऊर्ध्व दिशा को समायोजित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के धारित अतिरिक्त हिस्से को कम किए जाने का पता चलता है।

### *2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र में होने वाला निधि प्रवाह*

IV.10 2018-19 के दौरान, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार

**चार्ट IV.4: ऋण संरचना में परिवर्तन**

**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

[2] इस तीव्र वृद्धि का आंशिक कारण 21 जनवरी 2019 को आईडीबीआई लिमिटेड को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण बेस प्रभाव के कारण रहा। हालांकि, इस पुनर्वर्गीकरण को ध्यान में रखने पर भी ऋण वृद्धि की अगुआई निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने ही की।

[3] अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), 2019, जो www.bis.org पर उपलब्ध है।

[4] बीआईएस द्वारा प्रकाशित आंकड़े, जो www.bis.org पर उपलब्ध हैं।

**चार्ट IV.5: ऋण अनुपातों की प्रवृत्तियां**

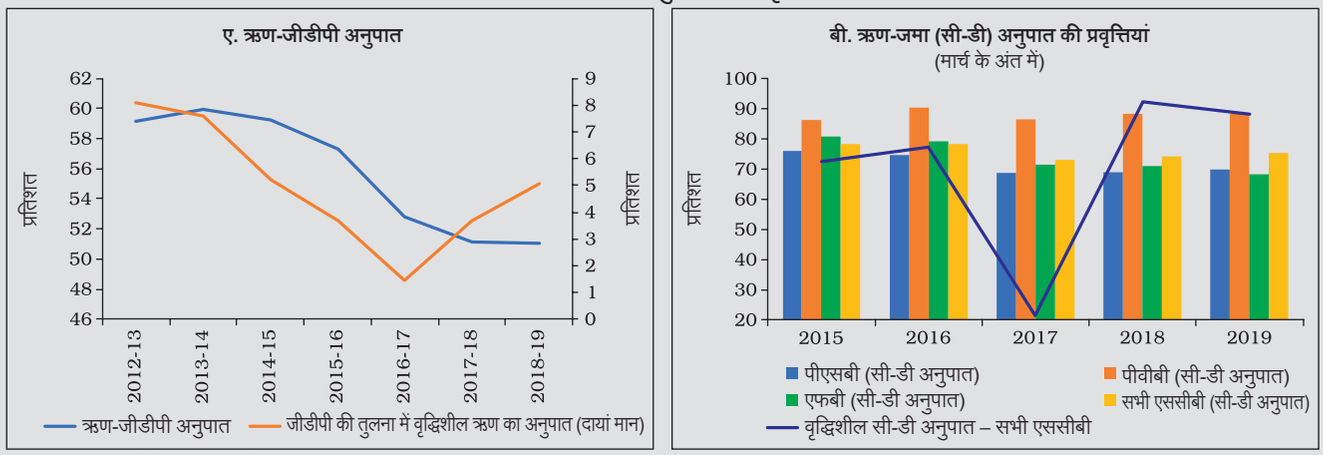


**स्रोत :** बैंकों और डीबीआईई के वार्षिक लेखा, भा.रि. बैंक।

नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडीएसआई) एवं जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) से होने वाले ऋण प्रवाह में कमी आई। गैर-वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज और इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कॉर्पोरेट कर्ज में किए जाने वाले निवल निवेश में भी यही ढंग (पैटर्न) देखा गया। इसके विपरीत, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा वाणिज्यिक पत्र निर्गमन में तीव्र वृद्धि होने, अपेक्षाकृत अधिक समायोजन किए जाने, और विदेशी स्रोतों से होने वाले निवल प्रवाह की गति तेज होने के कारण गैर-बैंक संस्थानों से होने वाले प्रवाह में आई कमी की प्रतिपूर्ति हुई। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) में चार वर्षों में पहली बार निवल अंतर्वाह हुआ, जो आंशिक रूप से सीमा-पार उधारियों से संबंधित मानदंडों को सहज बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लाए गए नए ईसीबी फ्रेमवर्क के योगदान को दर्शाता। वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह में 18.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (सारणी IV.2)।

IV.11 2019-20 के पूर्वार्द्ध में परिदृश्य बदला हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वाणिज्यिक क्षेत्र में होने वाले संसाधनों के कुल प्रवाह में वर्ष-दर-वर्ष 60 प्रतिशत की मंदी आई। इस मंदी का निर्धारण व्यापक रूप से समायोजित खाद्येतर ऋण में कमी से हुआ। इसके विपरीत, 2019-20 के पूर्वार्द्ध में विदेशी स्रोतों से होने वाले प्रवाह में तेजी आई क्योंकि जुलाई 2019 में ईसीबी के मानदंडों को और आसान बनाया गया (सारणी IV.2)।

### *2.4 आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल*

IV.12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के तुलन-पत्र की परिपक्वता प्रोफाइल के संदर्भ में, 1-3 वर्ष की श्रेणी के अंतर्गत आस्ति-देयता अंतराल में काफी बढोतरी हुई, किंतु 5 वर्ष से अधिक की श्रेणी के अंतर्गत इसमें कमी हुई (चार्ट IV.6)। यद्यपि, सभी अवधियों से संबंधित देयताओं की परिपक्वता संरचना व्यापक रूप से एक वर्ष पूर्व के समान रही, किंतु पाँच वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले ऋणों की हिस्सेदारी में गिरावट आई जबकि 1-3 वर्षों के बीच की परिपक्वता वाले

**चार्ट IV.6: परिपक्वता की मदों (बकेट्स) के अनुसार आस्ति-देयता अंतराल**

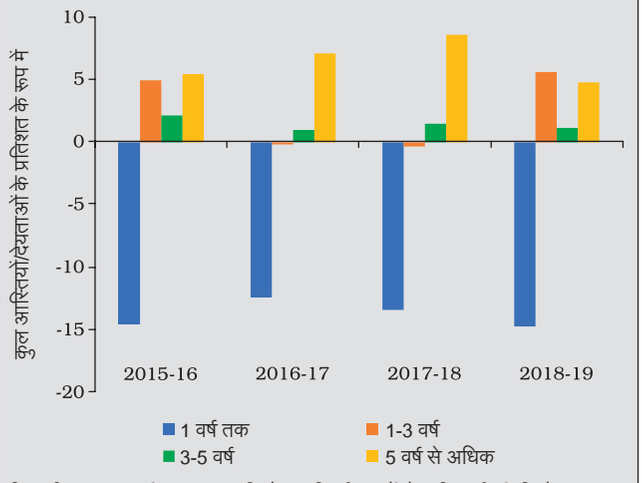


**टिप्पणी :** 1. एक वर्ष तक अल्पावधि है, जबकि तीन वर्षों से अधिक दीर्घावधि है।
2. आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश शामिल हैं। देयताओं में जमाएं और उधारियां शामिल हैं।

**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

**सारणी IV.2 : वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह**

(₹ करोड़)

| स्रोत | अप्रैल से मार्च | | | | अप्रैल से सितंबर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2018-19 | 2019-20 |
| **ए. समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण (एनएफसी)** | **7,75,419** | **4,95,224** | **9,16,109** | **12,29,977** | **3,65,647** | **-52,971** |
| | **(51.5)** | **(33.6)** | **(42.8)** | **(52.4)** | **(36.8)** | **-(13.4)** |
| i) खाद्येतर ऋण | 7,02,358 | 3,88,247 | 7,95,897 | 11,46,677 | 3,50,565 | -23,344* |
| *जिसमें से :* पेट्रोलियम और खाद ऋण | -1,831 | 13,283 | 2,724 | 7,462 | -6,774 | -12,768 |
| ii) एससीबी द्वारा एसएलआर से इतर निवेश | 73,060 | 1,06,977 | 1,20,212 | 83,301 | 15,082 | -29,627* |
| **बी. गैर-बैंकों से प्रवाह (बी1+बी2)** | **7,30,838** | **9,79,207** | **12,24,006** | **11,19,328** | **6,27,666** | **4,47,006** |
| | **(48.5)** | **(66.4)** | **(57.2)** | **(47.6)** | **(63.2)** | **(113.4)** |
| **बी1.घरेलू स्रोत** | **4,84,981** | **7,03,377** | **8,85,552** | **7,32,582** | **4,88,591** | **1,97,556** |
| | **(32.2)** | **(47.7)** | **(41.4)** | **(31.2)** | **(49.2)** | **(50.1)** |
| 1. गैर-वित्तीय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक निर्गम | 37,783 | 15,503 | 43,826 | 10,565 | 7,029 | 58,462 |
| 2. गैर-वित्तीय संस्थानों द्वारा सकल निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) | 1,13,516 | 2,00,243 | 1,46,176 | 1,50,451 | 52,961 | 81,505 |
| 3. गैर-बैंकों द्वारा अभिदत्त वाणिज्यिक पत्रों का निवल निर्गम | 31,974 | 86,894 | -25,377 | 1,36,089 | 1,79,232 | -26,809 |
| 4. आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल ऋण | 1,18,803 | 1,37,390 | 2,19,840 | 1,65,893 | 99,780 | 5,874 |
| 5. भा.रि. बैंक द्वारा विनियमित चार एआईएफआई – नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी एवं आयात-निर्यात बैंक द्वारा कुल समायोजन | 47,153 | 46,939 | 95,048 | 1,13,568 | 61,881 | -7,989 |
| 6. प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (बैंक ऋण से भिन्न) | 98,851 | 1,88,748 | 3,68,243 | 1,26,006 | 77,547 | 53,862 |
| 7. कॉर्पोरेट कर्ज, आधारभूत संरचना और सामाजिक क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का निवल निवेश | 36,900 | 27,661 | 37,797 | 30,011 | 10,162 | 32,651 |
| **बी2.विदेशी स्रोत** | **2,45,858** | **2,75,829** | **3,38,454** | **3,86,746** | **1,39,075** | **2,49,450** |
| | **(16.3)** | **(18.7)** | **(15.8)** | **(16.5)** | **(14.0)** | **(63.3)** |
| 1. बाह्य वाणिज्यिक उधारियां / एफसीसीबी | -38,793 | -50,928 | -5,129 | 69,629 | 4,070 | 52,119 |
| 2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इतर एडीआर/जीडीआर निर्गम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. विदेशों से अल्पावधिक ऋण | -9,607 | 43,465 | 89,606 | 15,184 | -23,381 | 13,841$ |
| 4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश | 2,94,258 | 2,83,292 | 2,53,977 | 3,01,932 | 1,58,386 | 1,83,490 |
| **सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए + बी)** | **15,06,257** | **14,74,431** | **21,40,115** | **23,49,305** | **9,93,312** | **3,94,035** |
| | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** | **(100.0)** |

**टिप्पणी :** $: जून 2019 तक, *: डेटा अप्रैल-सितंबर 27, 2019 की अवधि से संबंधित है। कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रवाह में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
**स्रोत :** भा.रि.बैंक, सेबी, बीएसई, एनएसई, मर्चेंट बैंक, एलआईसी एवं एनएचबी।

ऋणों में तीव्र बढ़ोतरी हुई (सारणी IV.3)। इससे यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), ने ऋण देने की उनकी कार्यनीति में बदलाव किया है।

### *2.5 अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां*

IV.13 2018-19 में भारत स्थित बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं तथा आस्तियों का और अधिक विस्तार हुआ। देयताओं की तुलना में दावों के अनुपात में थोड़ी कमी आई, क्योंकि दावों की तुलना में देयताओं में अधिक बढ़ोतरी हुई। भारत के कुल विदेशी कर्ज की तुलना में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं के अनुपात में वर्ष के दौरान बढ़ोतरी हुई (चार्ट IV.7)। देयता के पक्ष में, विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाओं [एफसीएनआर (बी)] एवं अनिवासी विदेशी रुपया (एनआरई) खातों में जमाराशि में वृद्धि हुई, जबकि नोस्त्रो जमाशेष, निर्यात बिलों और कर्ज प्रतिभूतियों का जुटाव होना प्राथमिक रूप से आस्तियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार था (अनुबंध सारणियां IV.9 एवं IV.10)। वैश्विक सीमा-पारीय समंकों में भारत की हिस्सेदारी लघु स्तर पर बनी रही, जो मार्च 2019[5] के अंत में एक प्रतिशत से कम थी।

[5] बीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, जो https://stats.bis.org/ statx/srs/table/a1?m=S पर उपलब्ध हैं।

**सारणी IV.3: चुनिंदा देयताओं/आस्तियों का बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल**
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल जोड़ का प्रतिशत)

| देयताएं/आस्तियां | पीएसबी | | पीवीबी | | एफबी | | सभी एससीबी# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. जमाएं** | | | | | | | | |
| ए) 1 वर्ष तक | 44.8 | 43.6 | 42.4 | 42.9 | 63 | 64.2 | 45 | 44.4 |
| बी) एक वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक | 23.2 | 22.4 | 25.3 | 26.8 | 28.9 | 28.6 | 24.0 | 24.0 |
| सी) तीन वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 9.5 | 8.0 | 7.2 | 10.0 | 10.2 |
| डी) 5 वर्षों से अधिक | 22.0 | 23.3 | 21.6 | 20.9 | 0.1 | 0.0 | 20.9 | 21.5 |
| **II. उधारियां** | | | | | | | | |
| ए) 1 वर्ष तक | 60.2 | 61.6 | 45.7 | 47.9 | 89.1 | 87.5 | 56.3 | 57.4 |
| बी) एक वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक | 13.4 | 14.1 | 22.2 | 19.8 | 5.8 | 8.1 | 16.8 | 16.5 |
| सी) तीन वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक | 8.4 | 8.3 | 12.9 | 14.0 | 2.2 | 1.8 | 9.8 | 10.3 |
| डी) 5 वर्षों से अधिक | 18.0 | 16.0 | 19.2 | 18.3 | 2.8 | 2.6 | 17.1 | 15.7 |
| **III. ऋण एवं अग्रिम** | | | | | | | | |
| ए) 1 वर्ष तक | 32.8 | 26 | 31.9 | 31.3 | 59.1 | 57.8 | 33.6 | 29.2 |
| बी) एक वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक | 26.3 | 41.2 | 33.8 | 34.1 | 20.9 | 21.0 | 28.4 | 37.9 |
| सी) तीन वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक | 12.7 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 8.0 | 7.9 | 12.5 | 12.4 |
| डी) 5 वर्षों से अधिक | 28.2 | 20.3 | 21.4 | 21.7 | 12.0 | 13.4 | 25.5 | 20.4 |
| **IV. निवेश** | | | | | | | | |
| ए) निवेश | 17.6 | 17.9 | 50.7 | 49.6 | 81.2 | 82.6 | 30.6 | 32.7 |
| बी) एक वर्ष से अधिक और 3 वर्षों तक | 13.0 | 13.5 | 16.9 | 16.1 | 12.1 | 10.9 | 13.9 | 14.1 |
| सी) तीन वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक | 13.3 | 13.5 | 8.6 | 8.2 | 2.3 | 2.2 | 11.3 | 11.0 |
| डी) 5 वर्षों से अधिक | 56.2 | 55.1 | 23.7 | 26.1 | 4.4 | 4.2 | 44.2 | 42.2 |

**टिप्पणियाँ :** 1. पूर्णांकन किए जाने के कारण घटकों का योग 100 से भिन्न हो सकता है।
2. #: आंकड़ों में एसएफबी के आंकड़े भी समाहित हैं।

**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

IV.14 2018-19 में, बैंकों के कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में अल्पावधिक परिपक्वता वाले दावों का का संकेंद्रण बढ़ा (परिशिष्ट सारणी IV.11)। अंतरराष्ट्रीय दावों की देश-वार संरचना व्यापक रूप से स्थिर बनी रही, जिसके अंतर्गत अमेरिका (यूएस) की हिस्सेदारी में और बढ़ोतरी हुई (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

**चार्ट IV.7 : बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां**

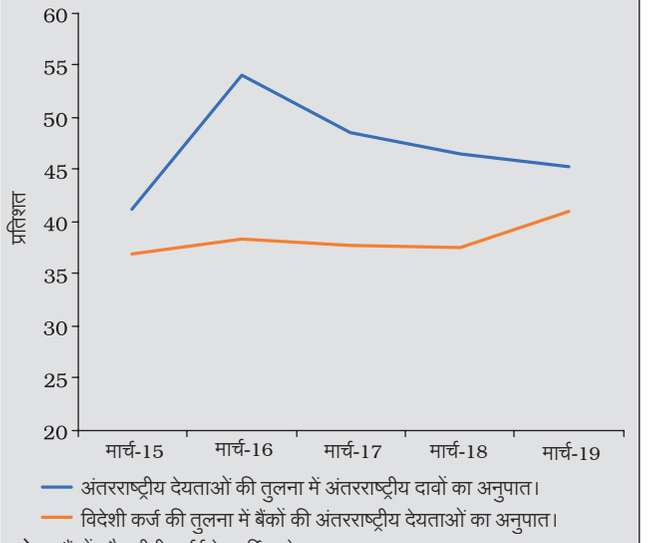


**स्रोत :** बैंकों और डीबीआईई के वार्षिक लेखा।

### *2.6 तुलन-पत्र से इतर परिचालन*

IV.15 मार्च 2019 के अंत में, भारत स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आकस्मिक देयताओं में उनके तुलन-पत्र में दर्शाई गई आकस्मिक देयताओं की तुलना में 1.2 गुना बढ़ोतरी हुई। व्युत्पन्नी उत्पादों सहित वायदा विदेशी मुद्रा संविदा (फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रेक्ट्स) में हुए विस्तार ने इस बढ़ोतरी की अगुआई की (परिशिष्ट सारणी IV.2)। सभी बैंक समूहों के तुलन-पत्र में दर्शाई गई और उससे इतर देयताओं की संरचना स्थिर रही है, जिसके अंतर्गत विदेशी बैंकों (एफबी) और निजी बैंकों (पीवीबी) का तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की तुलना में काफी अधिक रहा (चार्ट IV.8)।

**चार्ट IV.8: बैंकों के तुलन-पत्र में दर्शाई गई और उनसे इतर देयताएं**

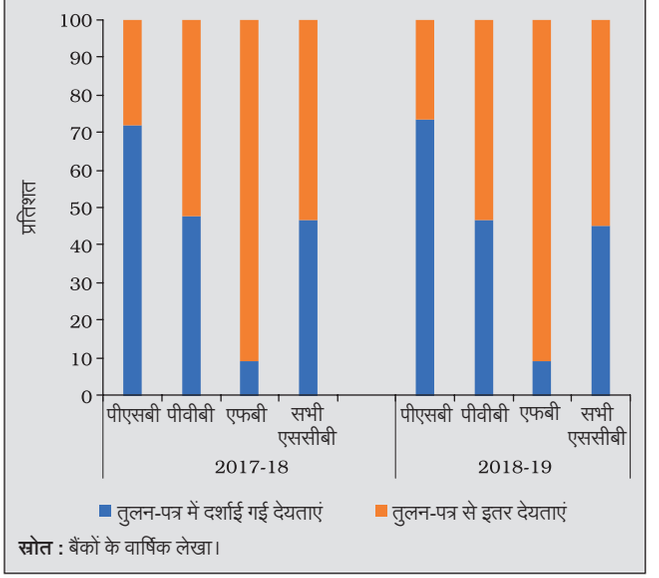


**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

## 3. वित्तीय कार्यनिष्पादन

IV.16 समीक्षाधीन अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य बात यह रही कि 2019-20 की पहली छमाही में 3 वर्षों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने निवल लाभ के धनात्मक होने की रिपोर्ट भेजी है। प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं में कमी आने और ऋण वृद्धि का धीमी गति से पुनरुज्जीवन होने से, जमा वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण ब्याज पर होने वाले व्यय में तेजी आने के बावजूद ब्याज से होने वाली आय में बढ़ोतरी हुई (सारणी IV.4)। निवल ब्याज मार्जिन के साथ ही साथ स्प्रेड में भी सुधार हुआ (सारणी IV.5)।

IV.17 दूसरी तरफ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ब्याज से इतर स्रोतों से होने वाली आय में कमी आई। इस कमी में सरकारी प्रतिभूति के पोर्टफोलियो में बाजार दर पर आधारित हानि के बढ़ने और निवेश अस्थिरता आरक्षित कोष (आईएफआर) में निधियों के अंतरण का योगदान रहा। इन कारकों के अलावा, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों, मुख्यरूप से गारंटियों, में होने वाली धीमी वृद्धि, तथा व्यापार और विदेशी मुद्रा लेन-देनों से होने वाली आय में गिरावट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाला। हालांकि, 2019-20 की पहली छमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ब्याज से इतर आय का पुनरुज्जीवन हुआ है।

**सारणी IV.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्तियां**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|
| | राशि | प्रतिशत घट-बढ़ | राशि | प्रतिशत घट-बढ़ |
| 1. आय | 12,17,567 | 1.0 | 13,23,680 | 8.7 |
| ए) ब्याज से होने वाली आय | 10,21,968 | 1.0 | 11,40,727 | 11.6 |
| बी) अन्य आय | 1,95,598 | 1.2 | 1,82,953 | -6.5 |
| 2. व्यय | 12,50,004 | 7.6 | 13,47,077 | 7.8 |
| ए) व्यय किया गया ब्याज | 6,53,510 | -2.3 | 7,10,890 | 8.8 |
| बी) परिचालगत व्यय | 2,71,470 | 9.3 | 3,07,457 | 13.2 |
| *जिसमें से :* मजदूरी बिल | 1,32,479 | 3.9 | 1,48,989 | 12.5 |
| सी ) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय | 3,25,024 | 33.3 | 3,28,731 | 1.1 |
| 3. परिचालनगत लाभ | 2,92,587 | 1.7 | 3,05,333 | 4.4 |
| 4. निवल लाभ | -32,438 | - | -23,397 | - |
| 5. ब्याज से होने वाली निवल आय (एनआईआई) (1ए-2ए) | 3,68,458 | 7.5 | 4,29,837 | 16.7 |
| 6. निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एनआईआई) | 2.5 | - | 2.7 | - |

**टिप्पणियाँ :** 1. आंकड़ों में एसएफबी के आंकड़े भी समाहित हैं।
2. निरपेक्ष अंकों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घट-बढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है।

**स्रोत :** संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा।

IV.18 जहाँ 2018-19 में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रावधान की मात्रा में कमी आई वहीं पीवीबी में 2018-19 में वृद्धि हुई जिसका कारण पीवीबी के एनपीए[6] में वृद्धि रहा। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भी इसी तरह की गतिविधियां दृष्टिगोचर होती थीं (चार्ट IV.9)।

IV.19 सितंबर 2019 के अंत तक, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्रावधान व्याप्ति अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की सकल अनर्जक आस्तियों में हुई गिरावट उनके प्रावधानों में होने वाली गिरावट की तुलना में अधिक तेज रही और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के प्रावधान किए जाने में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई (चार्ट IV.10)।

IV.20 लाभप्रदता अनुपात के मामले में भी, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्यनिष्पादन में अंतर स्पष्ट थे। निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के संबंध में, 2018-19 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) -दोनों की स्थिति पिछले वर्ष से खराब हुई, हालांकि उनकी स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) (सारणी IV.6)[7] की तुलना में काफी बेहतर

[6] 2018-19 में आईडीबीआई के पीवीबी के रूप में पुनर्वर्गीकरण को हिसाब में लेने के बाद।

[7] आस्तियों पर प्रतिलाभ = बैंक समूहों के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ उस समूह के अलग-अलग बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें दिए जाने वाले भारिताएं संबंधित बैंक समूह में आनेवाली सभी बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में उक्त बैंक की आस्तियों का प्रतिशत हिस्सा होती हैं और इक्विटी पर प्रतिफल = निव्वल लाभ / औसत कुल इक्विटी।

**सारणी IV.5: बैंक समूह-वार निधियों की लागत और निधियों से प्रतिलाभ**

(प्रतिशत)

| बैंक समूह | वर्ष | जमा की लागत | उधार की लागत | निधियों की लागत | अग्रिमों का प्रतिफल | निवेश का प्रतिफल | निधियों का प्रतिफल | दायरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8-5 |
| पीएसबी | 2017-18 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 2.5 |
| | 2018-19 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 2.8 |
| पीवीबी | 2017-18 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | 9.5 | 6.9 | 8.8 | 3.6 |
| | 2018-19 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 9.8 | 7.0 | 9.0 | 3.6 |
| एफबी | 2017-18 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 8.1 | 6.6 | 7.4 | 3.7 |
| | 2018-19 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 8.2 | 6.2 | 7.2 | 3.6 |
| सभी एससीबी | 2017-18 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 8.3 | 7.0 | 7.9 | 2.8 |
| | 2018-19 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 8.7 | 7.1 | 8.2 | 3.1 |

**टिप्पणियाँ :** 1. जमा लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज/वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत।
2. उधारियों की लागत = (व्यय किया गया ब्याज – जमाराशियों का ब्याज)/वर्तमान और पिछले वर्ष की उधारियों का औसत)
3. निधियों की लागत = व्यय किया गया ब्याज / (उधारियों सहित वर्तमान और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत)
4. अग्रिमों से प्रतिलाभ = अग्रिमों से अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत
5. निवेश से प्रतिलाभ = निवेश से अर्जित ब्याज / वर्तमान और पिछले वर्ष के निवेश का औसत
6. निधि से प्रतिलाभ = (अग्रिमों से अर्जित ब्याज + निवेश से अर्जित ब्याज) / निवेश सहित वर्तमान और पिछले वर्ष के अग्रिम)
7. एसएफबी के आंकड़े शामिल हैं। पीएसबी और पीवीबी के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पुन: वर्गीकरण के कारण आकड़े समायोजित किए गए हैं।

**स्रोत :** संबंधित बैंकों के तुलन-पत्रों से परिकलित।

थी। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उनके घाटे को कम करने, उनकी आस्ति गुणवत्ता में और सुधार करने में अधिक सफल रहे। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में ब्याज से होने वाली आय में तेजी आई और ब्याज से इतर आय का पुनरुज्जीवन होने से समग्र लाभप्रदता में बढ़ोतरी हुई। पर्यवेक्षण संबंधी आंकड़े यह बताते है कि एससीबी के आरओए में सुधार हुआ और यह सितंबर 2019 के अंत में 0.35 प्रतिशत हो गया।

**सारणी IV.6: एससीबी की आस्ति से प्रतिलाभ और इक्विटी से प्रतिलाभ-बैंक समूह-वार**

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

| बैंक समूह | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | | निजी क्षेत्र के बैंक | | विदेशी बैंक | | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 |
| आस्ति से प्रतिलाभ | -0.84 | -0.65 | 1.14 | 0.63 | 1.34 | 1.56 | -0.15 | -0.09 |
| इक्विटी से प्रतिलाभ | -14.62 | -11.44 | 10.12 | 5.45 | 7.16 | 8.77 | -2.81 | -1.85 |

**टिप्पणी :** पीएसबी और पीवीबी के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पुन: वर्गीकरण के कारण आकड़े समायोजित किए गए हैं।
**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

**चार्ट IV.9: प्रावधानीकरण और लाभप्रदता**

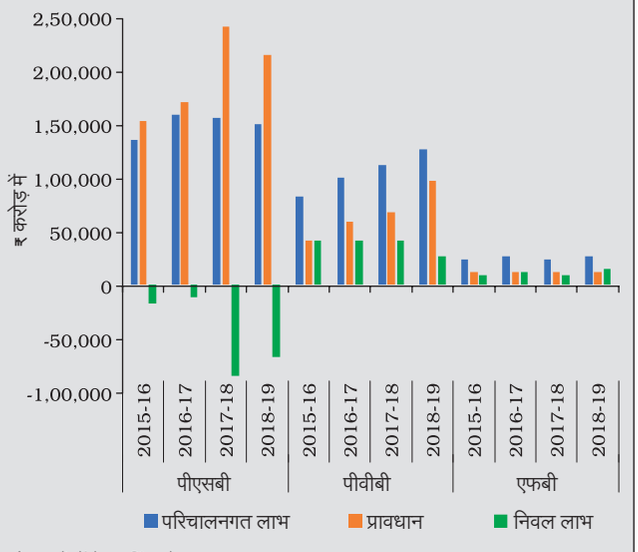


**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा।

**चार्ट IV.10 : प्रावधान व्याप्ति अनुपात**

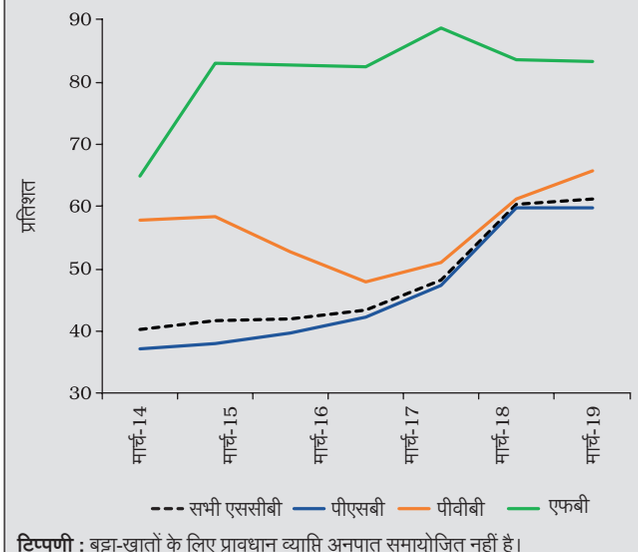


**टिप्पणी :** बट्टा-खातों के लिए प्रावधान व्याप्ति अनुपात समायोजित नहीं है।
**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

## 4. सुदृढ़ता संकेतक

IV.21 सुदृढ़ता संकेतक वे आव्यूह (मेट्रिक्स) होते हैं जो सभी बैंकों की सर्वकालिक वित्तीय सेहत की तुलना को संभव बनाते हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अब तक, पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि की उपलब्धता और आस्ति गुणवत्ता में शनै: शनै: सुधार होता रहा है।

### *4.1 पूंजी पर्याप्तता*

IV.22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में सुधार होता रहा है, जो 2014-15 में 13 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गया था। साक्ष्यों से पता चलता है कि बैंकों के पूंजीगत आधार को मजबूत करने से ऋण वृद्धि के अरैखिक प्रसार की सुविधा प्राप्त होती है (बॉक्स IV.1)।

### बॉक्स IV.1 बैंक की न्यूनतम पूंजी एवं ऋण प्रदान करना

अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंक अपने तुलन-पत्रों का संकुचन, विशेषरूप से उनके ऋण के पोर्टफोलियो में संकुचन, किए बिना आघात वहन करने में सक्षम रहे हैं, किंतु पूंजी की किल्लत झेल रहे बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में कमी करने की अधिक संभावना होती है (कोहेन, 2013; आर्मस्ट्रॉंग एवं इबेल, 2014)। पूंजी की ऊंची लागत एवं जोखिम विमुखता ऋण प्रदान करने संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त बाधाओं की तरह कार्य करती हैं। हाल के अनुभवजन्य साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि पूंजी और ऋण देने के बीच अरैखिक संबंध है, अर्थात् बैंक की पूंजी के महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर से अधिक होने पर ही उसकी ऋण संबंधी लेखा बहियों में तेजी की शुरुआत हो सकती है (ब्रेई एवं अन्य, 2013)।

2012-13 से 2018-19 की अवधि के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 40 बैंकों से संबंधित वार्षिक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए किए गए निर्धारित प्रभाव वाले पैनल थ्रेशोल्ड रिग्रेसन से पता चलता है कि न्यूनतम सीआरएआर 13.2 प्रतिशत है, जिसका मॉडल में निर्धारण अंतर्जनित ढंग से हुआ था। यह 10.875 प्रतिशत (पूंजी संरक्षण बफर सहित) के निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर से अधिक है। इस अरैखिक संबंध की एक से अधिक न्यूनतम सीमाएं होने की जांच करने के लिए, दो एवं उससे अधिक न्यूनतम सीमाओं वाली अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप पी-वैल्यू महत्वपूर्ण नहीं पाई गई।

सीआरएआर और ऋण वृद्धि के बीच संबंध धनात्मक और न्यूनतम स्तर से काफी नीचे होने के साथ ही साथ उससे ऊपर भी पाया गया, हालांकि $\beta$ गुणांक का मान न्यूनतम स्तर से काफी कम था, अर्थात् $\beta_1 > \beta_2$ (सारणी 1)। इस प्रकार से, बैंक पूंजी में न्यूनतम स्तर से अधिक की वृद्धि होने का ऋण देन पर सकारात्मक किंतु ह्रासात्मक प्रवाह हैं, जो अन्य जगहों के अनुभव-जन्य साक्ष्यों के अनुरूप है (कैटालान एवं अन्य, 2017)। ये परिणाम बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), कुल आस्तियों में चलनिधि युक्त आस्तियों के हिस्से, ऋण की तुलना में जमाराशि अनुपात, दबावपूर्ण आस्तियों के अनुपात और जीडीपी को नियंत्रित करने के बावजूद मजबूत बने रहते हैं। इन परिणामों से पता चलता है कि भारत स्थित बैंकों के लिए सीआरएआर का 13.2 का स्तर इष्टतम होगा (वर्मा एवं हेरवाडकर, 2019)।

**सारणी 1 : दो व्यवस्थाओं से पैनल थ्रेशोल्ड रेग्रेसन मॉडल का अनुमान**

| मॉडल | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| आश्रित चर = ऋण वृद्धि | | | |
| थ्रेशोल्ड | 13.17<br>पी मूल्य=<br>0.022 | 13.17<br>पी मूल्य=<br>0.034 | 13.13<br>पी मूल्य=<br>0.044 |
| सीआरएआर | | | |
| $\beta_1$ (थ्रेशोल्ड से नीचे) | 1.495***<br>(-0.546) | 1.395***<br>(0.56) | 1.67***<br>(0.562) |
| $\beta_2$ (थ्रेशोल्ड से ऊपर) | 0.861*<br>(-0.476) | 0.816*<br>(0.49) | 1.115**<br>(0.485) |
| नियंत्रक चर | | | |
| एनआईएम | 6.652***<br>(1.933) | 6.467***<br>(1.835) | |
| दबाव (-1) | -0.527**<br>(0.266) | -0.784***<br>(0.268) | -0.52**<br>(0.273) |
| ऋण का अनुपात की तुलना में जमाराशियाँ (-1) | | 0.130**<br>(0.059) | |
| कुल आस्तियां की तुलना में तरल आस्तियां (-1) | 0.439**<br>(0.192) | | |
| सांकेतिक जीडीपी वृद्धि | 0.78<br>(0.909) | 0.992<br>(0.749) | 1.659*<br>(0.902) |
| विमुद्रीकरण डमी | हाँ | नहीं | हाँ |
| विलय डमी | हाँ | नहीं | हाँ |
| एक्यूआर डमी | हाँ | नहीं | हाँ |
| स्थिर | -0.331***<br>(0.129) | -0.439***<br>(0.146) | -0.208<br>(0.129) |
| आर$^2$ | 0.427 | 0.327 | 0.316 |
| पर्यवेक्षणों की संख्या | 240 | 240 | 240 |
| बूटस्ट्रैप की संख्या | 500 | 500 | 500 |
| प्रायिकता > एफ | 0 | 0 | 0 |

**टिप्पणी :** 1 कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. *पी < 0.10, ** पी < 0.05, *** पी < 0.01

**संदर्भ**


आर्मस्ट्रांग, ए एवं एम. इबेल (2014) : 'कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, लेंडिंग ओवर द साइकिल एंड द प्रिकॉशनरी मोटिव : ए क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेशन', *नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसिअल रिसर्च, लंदन*।

बेरि एम.एल. गंबांकोर्टा, जी. वॉन पीटर (2013) : 'रेस्क्यू पैकेज एंड बैंक लैंडिंग', *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस*, खंड 37, पृ.सं. 490-505.

कैटालान एम.ए. हॉफ्फमैस्टर एवं एच. सिसिलिआ (2017) : 'बैंक कैपिटल एंड लैंडिंग : एन एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क एंड इविडेंस ऑफ नॉनलीनिएरिटी', *आईएमएफ वर्किंग पेपर* नं. 17/252.

कोहेन बी.एच. (2013) : 'हाउ हैव बैंक्स एडजस्टेड टु हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स', *बीआईएस तिमाही समीक्षा*, सितंबर।

वर्मा आर. एवं एस.एस. हेरवाडकर (2019), 'बैंक रिकैपिटलाइजेशन एंड क्रेडिट ग्रोथ : द इंडियन केस', एमपीआरए पेपर 17394।

**सारणी IV.7 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता**
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| | पीएसबी | | पीवीबी | | एफ़बी | | एससीबी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| **1. पूंजीगत निधियां** | **6,57,750** | **6,38,553** | **5,15,690** | **6,01,046** | **1,48,701** | **1,69,620** | **13,22,141** | **14,09,220** |
| i) टिअर I पूंजी | 5,26,997 | 5,18,963 | 4,47,009 | 5,27,007 | 1,40,698 | 1,59,211 | 11,14,704 | 12,05,181 |
| ii) टिअर II पूंजी | 1,30,753 | 1,19,590 | 68,681 | 74,039 | 8,003 | 10,409 | 2,07,438 | 2,04,038 |
| **2. जोखिम आधारित आस्तियां** | **56,41,360** | **52,32,524** | **31,38,270** | **37,39,838** | **7,79,937** | **8,74,407** | **95,59,566** | **98,46,768** |
| **3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)** | **11.7** | **12.2** | **16.4** | **16.1** | **19.1** | **19.4** | **13.8** | **14.3** |
| *जिसमें :* टिअर I | 9.3 | 9.9 | 14.2 | 14.1 | 18.0 | 18.2 | 11.7 | 12.2 |
| टिअर II | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.1 |

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

IV.23 2018-19 में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने पूंजी अनुपात में सुधार की अगुआई की । वर्ष 2017-18 में ₹90,000 करोड़ और 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़ राशि के तुल्य पुनर्पूंजीकरण से इनकी पूंजीगत स्थिति को मजबूती मिली जबकि वे लंबे समय से ख़राब आस्तियों से जूझ रहे थे । निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) में पूंजी की स्थिति अच्छी बनी रही और वे मार्च 2019 के लिए न्यूनतम 10.875 प्रतिशत के विनियामकीय मानदंड से ऊपर बने रहे, हालांकि इससे पहले ऋण और अग्रिम में मजबूत विस्तार के कारण 2018-19 में सीआरएआर में मामूली गिरावट हुई[8] (सारणी IV.7) ।

IV.24 उल्लेखनीय है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्लूए) में पिछले दो वर्षों में कमी आई है, जो उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ कम जोखिम वाले उधारकर्ताओं के पक्ष में उनके जोखिम प्रोफ़ाइल में परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, सभी बैंक समूहों ने बासेल-III मानदंडों के तहत अपेक्षित पूंजी संरक्षण बफ़र (सीसीबी) के अनुपालन में टिअर-1 पूंजी अनुपात में मजबूती को बरकरार रखा है। पूंजी अनुपात के वितरण में दाईं ओर परिवर्तन होने से यह स्पष्ट होता है कि यह सुधार व्यापक था (चार्ट IV. 11)।

IV.25 2019-20 की पहली छमाही में एससीबी के सीआरएआर और टिअर-1 पूंजी अनुपात में क्रमश: 15.1 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत का और अधिक सुधार हुआ जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की मुख्य भूमिका थी। सरकार ने वर्ष 2019-20 में ₹70,000 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण की अगली शृंखला की घोषणा की जिससे आने वाले समय में उनके पूंजीगत स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

**चार्ट IV.11: पूंजी अनुपातों का वितरण**

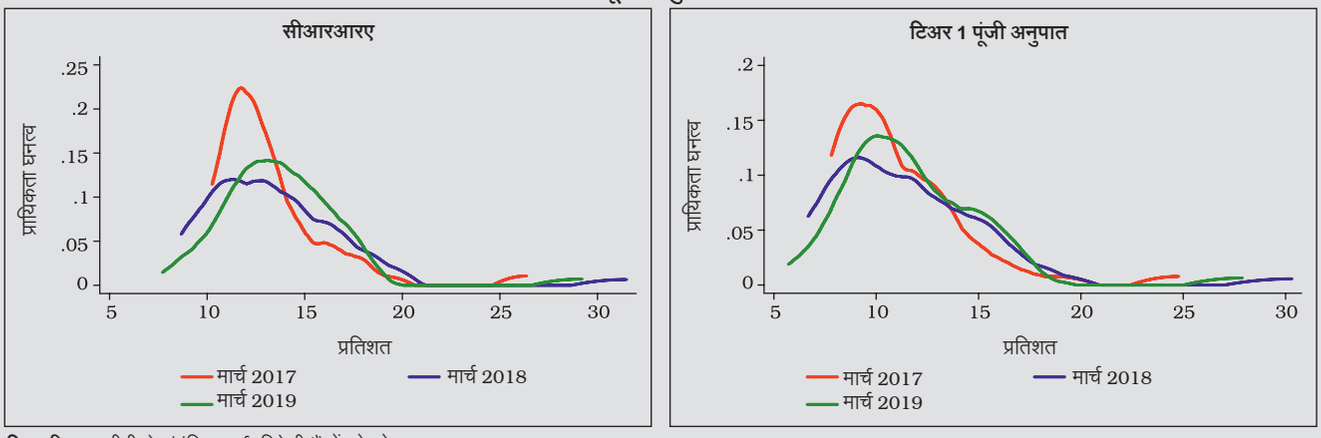


**टिप्पणी :** एससीबी से संबंधित चार्ट, विदेशी बैंकों को छोड़कर।
**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

[8] निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के रूप में आईडीबीआई बैंक लि. के पुन: वर्गीकरण को संशोधन करने के बाद भी।

*4.2 लीवरेज अनुपात*

IV.26 लीवरेज अनुपात (एलआर) को टिअर-1 की तुलना में कुल एक्सपोज़र (तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र सहित) के पूंजी अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे बासेल-III के तहत सीआरएआर के पूरक उपाय के रूप में उपयोग करने पर विचार किया गया ताकि लीवरेज निर्माण को रोका जा सके। मार्च 2019 के अंत में, एससीबी का लीवरेज अनुपात 6.6 प्रतिशत था जो बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा स्तंभ-I के तहत निर्धारित मानदंड के 3 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 2018-19 में सभी बैंक समूहों के लीवरेज अनुपात में मामूली गिरावट देखी गई जो मुख्यतः वर्ष के दौरान कुल एक्सपोज़र में वृद्धि के कारण थी (चार्ट IV.12)। हालांकि यह प्रवृत्ति वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में उलट गई। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात अपेक्षाओं को संशोधित किया, जो 01 अक्तूबर 2019[9] से प्रभावी हुई।

*4.3 चलनिधि मानक*

IV.27 बासेल-III फ्रेमवर्क दो न्यूनतम चलनिधि मानकों, अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) का निर्धारिण करता है। एलसीआर 30 दिनों तक चलने वाले संभाव्य चलनिधि व्यवधान से निपटने में बैंकों के अल्पकालीन आघात सहनीयता में सहायता प्रदान करता है, किंतु एनएसएफआर की यह अपेक्षा होती है कि बैंक एक वर्ष तक के समय के लिए अपनी वित्तीय गतिविधियों का निधीयन के स्थायी निधि स्रोतों के माध्यम से करें, जिनका विस्तार एक वर्ष तक हो। भारत में इसमें से पहले (एलसीआर) का क्रियान्वयन 01 जनवरी 2015 से हो चुका है और बाद वाले (एनएसएफआर), जिसे अपेक्षित स्थायी निधीयन (आरएसएफ़) की तुलना में उपलब्ध स्थायी निधीयन (एएसएफ़) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, को 01 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा।

IV.28 बैंको को एलसीआर की गणना हेतु सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसआरएल) से श्रेणी-1 की उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को निकालने की अनुमति दी गई है। इसके लिए वर्तमान सीमा निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की 16.5 प्रतिशत है। एनबीएफ़सी क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त निकासी निर्धारण भी किया गया है। वर्ष 2018-19 में एससीबी का एलसीआर और भी बेहतर हुआ और यह वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में बासेल-III की 100 प्रतिशत की आवश्यकता से काफी अधिक रहा (चार्ट IV.13)।

**चार्ट IV.12: लीवरेज अनुपात**

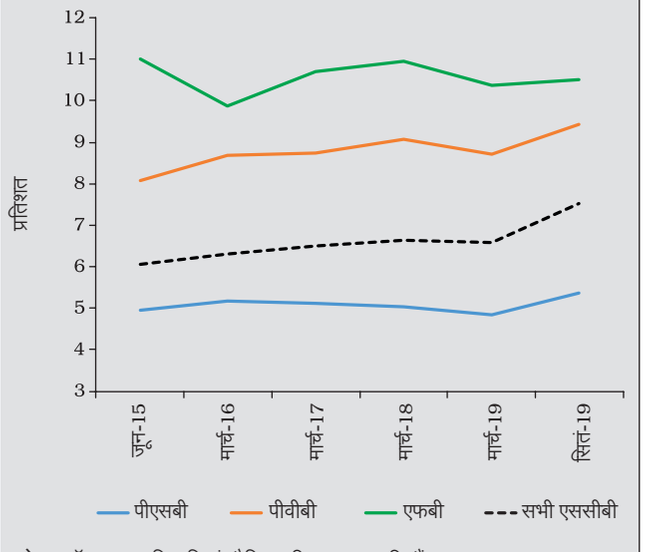


**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), भा.रि. बैंक।

**चार्ट IV.13: चलनिधि व्याप्ति अनुपात**

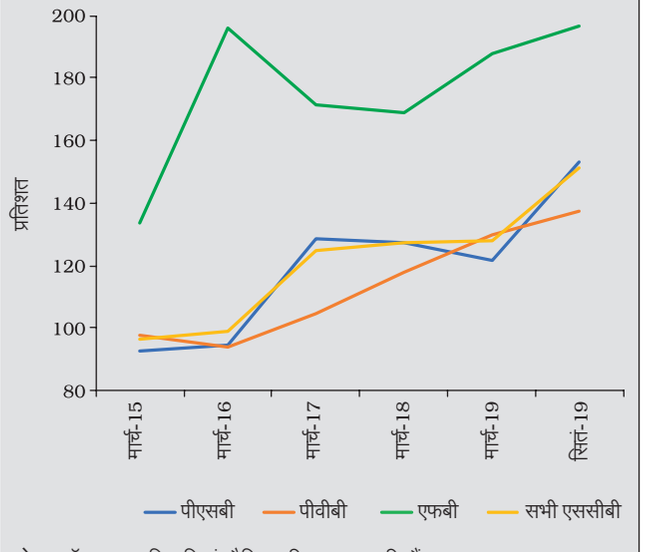


**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन), भा.रि. बैंक।

[9] ब्यौरे के लिए कृपया अध्याय III देखें।

**चार्ट IV.14: बैंकों की आस्ति गुणवत्ता**

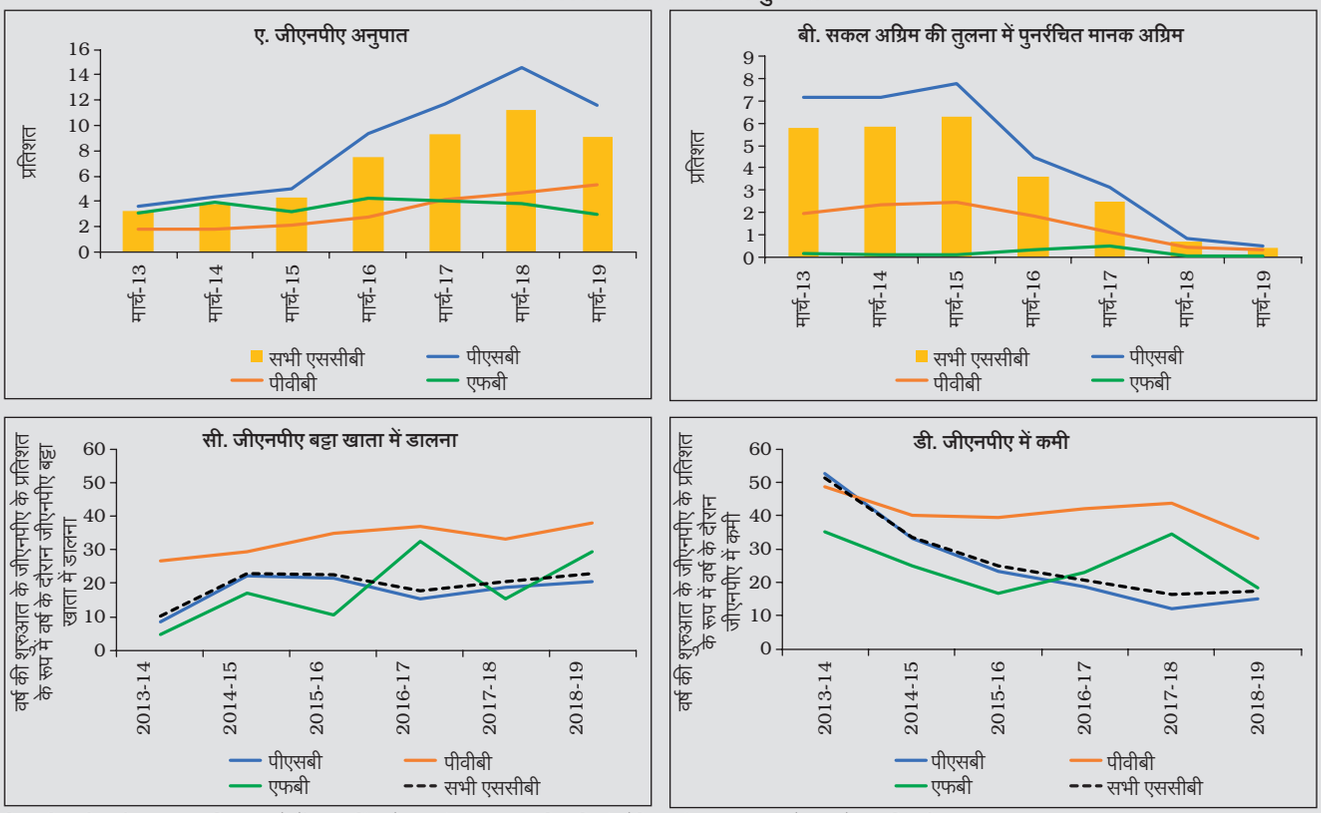


**टिप्पणी :** जीएनपीए अनुपात की गणना बैंकों का वार्षिक लेखा एवं ऑफ-साइट विवरणियां (वैश्विक परिचालन) का प्रयोग करते हुए की गयी।
**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा एवं ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन)

### *4.4 अनर्जक आस्तियां*

IV.29 अशोध्य ऋणों की पहचान करीब-करीब पूरी होने के कारण लगातार सात वर्षों तक जीएनपीए बढ़ने के बाद सभी एससीबी के जीएनपीए अनुपात में वर्ष 2018-19 में गिरावट आयी (चार्ट IV.14 ए)। वसूली के ज़रिए स्लिपेज अनुपात[10] में गिरावट के साथ बकाया जीएनपीए में कमी होने जीएनपीए अनुपात के सुधार में मदद मिली (चार्ट IV.14 सी और डी)। यद्यपि, ऋणों को बट्टे खाते में डालने का एक हिस्सा ऋणों के पुराने होने के कारण था, आईबीसी से वसूली प्रयासों को बल मिला। वर्ष 2015 में आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के बाद सकल अग्रिम अनुपात की तुलना में पुनर्गठित मानक अग्रिमों में गिरावट शुरू हुई और मार्च 2019 के अंत तक यह 0.55 प्रतिशत (चार्ट IV.14 बी) पर रह गया।

IV.30 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के जीएनपीए और निवल एनपीए अनुपात दोनों में गिरावट के साथ सभी बैंक समूहों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (सारणी IV.8)। जीएनपीए अनुपात के संदर्भ में, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आईडीबीआई बैंक लि. के निजी बैंक के रूप में पुनर्वगीकरण के कारण हुई, जो 21 जनवरी 2019 से प्रभावी हुआ। हालांकि, आईडीबीआई बैंक लि. को बाहर रखने के बाद, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई। ये वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में अनुपात मोटे तौर पर मजबूत बना रहा। पर्यवेक्षण संबंधी आंकड़े बताते हैं कि एससीबी के जीएनपीए अनुपात सितंबर 2019 के अंत तक 9.1 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा।

IV.31 इन गतिविधियों के अनुरूप, वर्ष 2018-19 में एससीबी के कुल अग्रिमों में मानक आस्तियों के अनुपात में वृद्धि हुई जो मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कार्यनिष्पादन में सुधार के कारण हुई। आवमानक आस्तियों और संदिग्ध आस्तियों में होने वाले तदनुरुपी सुधार घाटा खाता में होने वाले वृद्धि के कारण आंशिक रूप से उलट था (सारणी IV. 9)।

[10] स्लिपेज अनुपात (वर्ष के दौरान एनपीए की नई अभिवृद्धि/ वर्ष के शुरुआत में कुल मानक आस्तियां)*100 के रूप में परिभाषित।

**सारणी IV.8: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्तियां-बैंक समूह-वार**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | पीएसबी* | पीवीबी ^ | एफ़बी | सभी एससीबी# |
|---|---|---|---|---|
| **सकल एनपीए** | | | | |
| 2017-18 के लिए अंतिम शेष | 8,95,601 | 1,29,335 | 13,849 | 10,39,679 |
| 2018-19 के लिए प्रारम्भिक शेष | 8,95,601 | 1,29,335 | 12,733 | 10,38,684 |
| वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि | 2,16,763 | 90,526 | 6,114 | 3,14,449 |
| वर्ष 2018-19 के दौरान कमी | 1,33,844 | 42,748 | 2,557 | 1,79,711 |
| वर्ष 2018-19 के दौरान बट्टा खाता डालना | 1,83,391 | 49,098 | 4,048 | 2,36,948 |
| 2018-19 के लिए अंतिम शेष | 7,39,541 | 1,83,604 | 12,242 | 9,36,474 |
| **सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए**** | | | | |
| 2017-18 | 14.6 | 4.7 | 3.8 | 11.2 |
| 2018-19 | 11.6 | 5.3 | 3.0 | 9.1 |
| **निवल एनपीए** | | | | |
| 2017-18 के लिए अंतिम शेष | 4,54,473 | 64,380 | 1,548 | 5,20,838 |
| 2018-19 के लिए अंतिम शेष | 2,85,123 | 67,309 | 2,050 | 3,55,076 |
| **निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए** | | | | |
| 2017-18 | 8.0 | 2.4 | 0.4 | 6.0 |
| 2018-19 | 4.8 | 2.0 | 0.5 | 3.7 |

**टिप्पणियाँ :** 1. *: 2017-18 के लिए अंतिम शेष और 2018-19 के लिए प्रारंभिक शेष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।
2. ^: 2018-19 के लिए अंतिम शेष, वृद्धि, वसूली, बट्टा खाता डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
3. # : मार्च 2018 के अंत तक छह अनुसूचित एसएफ़बी और मार्च 2019 के अंत तक सात अनुसूचित एसएफ़बी के आंकड़े शामिल हैं।
4. **: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखा से सकल एनपीए और ऑफ-साइट विवरणियों (वैश्विक परिचालन) से सकल अग्रिम को मिलाकर गणना की गई।

**स्रोत :** बैंकों के वार्षिक लेखा और ऑफ-साइट विवरणियाँ (वैश्विक परिचालन), भा.रि. बैंक।

IV.32 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न पुनर्रचना योजनाओं को वापस लेने के बाद वर्ष 2017-18 में कुल जीएनपीए का 91 प्रतिशत योगदान बड़े उधारी खातों (₹5 करोड़ या उससे ज्यादा का एक्सपोजर) का था। हालांकि, वर्ष 2018-19 में एससीबी में सभी विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए-0), एसएमए-1 और एसएमए-2), पुनर्रचित मानक अग्रिमों(आरएसए) और जीएनपीए में साथ-साथ गिरावट आई जो आस्ति गुणवत्ता में व्यापक सुधार की पुष्टि करती है। तथापि, मार्च 2019 के अंत में इन खातों की - जिसमें सकल ऋणों और अग्रिमों का 53 प्रतिशत शामिल था, जीएनपीए में 82 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा, वर्ष 2019-20 पहली छमाही में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) दोनों के बड़े उधार खातों में दबाव बढ़ रहा है (चार्ट IV.15)।

### *4.5 वसूलियाँ*

IV.33 वर्ष 2018-19 के दौरान आईबीसी के समाधानों के प्रभाव से दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली में सुधार हुआ, जिसका कुल वसूल की गई राशि में आधे से अधिक हिस्सेदारी थी। हालाकिं, वर्ष 2018-19 में मुख्य समाधान प्रक्रियाओं (लोक अदालतों को छोड़कर) विशेषकर सरफेसी व्यवस्था के जरिए हुई वसूली की दरों[11] में गिरावट हुई, (सारणी IV.10)। विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत वसूली हेतु भेजे गए मामलों की संख्या में 27 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और वर्ष के दौरान यह

**सारणी IV.9: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण-बैंक समूह-वार**

(राशि ₹ करोड़ में))

| बैंक समूह | मार्च अंत | मानक आस्तियां | | अवमानक आस्तियां | | संदिग्ध आस्तियां | | हानि आस्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि | प्रतिशत* | राशि | प्रतिशत* | राशि | प्रतिशत* | राशि | प्रतिशत* |
| **पीएसबी#** | 2018 | 46,02,125 | 84.5 | 2,05,340 | 3.8 | 5,93,615 | 10.9 | 46,521 | 0.9 |
| | 2019 | 50,86,874 | 87.8 | 1,37,377 | 2.4 | 5,06,492 | 8.7 | 66,239 | 1.1 |
| **पीवीबी ^** | 2018 | 24,50,552 | 96.0 | 27,203 | 1.1 | 69,978 | 2.7 | 5,243 | 0.2 |
| | 2019 | 31,03,581 | 95.2 | 42,440 | 1.3 | 1,04,696 | 3.2 | 9,576 | 0.3 |
| **एफ़बी** | 2018 | 3,49,475 | 96.2 | 3,831 | 1.1 | 8,364 | 2.3 | 1,635 | 0.5 |
| | 2019 | 3,94,699 | 97.0 | 3,163 | 0.8 | 7,985 | 2.0 | 1,034 | 0.3 |
| **सभी एससीबी**** | 2018 | 74,02,152 | 88.1 | 2,36,374 | 2.8 | 6,71,957 | 8.0 | 53,398 | 0.6 |
| | 2019 | 85,85,154 | 90.2 | 1,82,980 | 1.9 | 6,19,173 | 6.5 | 76,849 | 0.8 |

**टिप्पणियाँ :** 1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।
2. *: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. #: 2018 के लिए आईडीबीआई बैंक लि.शामिल है।
4. ^: 2019 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
5. **: एसएफ़एस को शामिल नहीं किया गया है।

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

[11] इसे कुल राशि की तुलना में हुई प्रतिशत वसूली के रूप में परिभाषित किया जाता है।

**चार्ट IV.15: बड़े उधार खातों में दबाव**

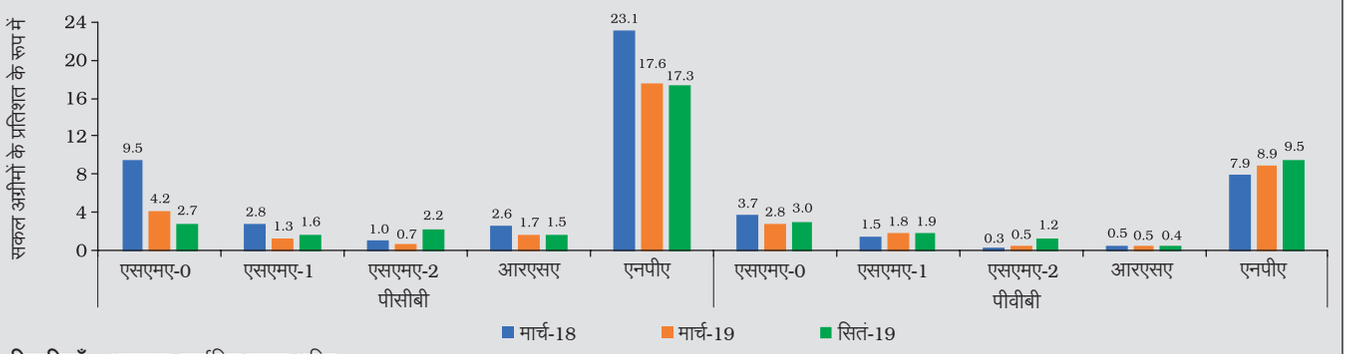


**टिप्पणियाँ :** आरएसए: पुनर्रचित मानक अग्रिम
एसएमए-0, जहां मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय नहीं था, लेकिन खाते में प्रारंभिक दबाव के लक्षण दिखाई दिए;
एसएमए 1, जहां 31-60 दिनों के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय था;
एसएमए 2, जहां 61-90 दिनों के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान अतिदेय था;
**स्रोत :** बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस। भा.रि. बैंक।

तिगुने हो गए हैं जिससे दिवाला कार्यवाहियों के लिए ढेर सारे मामले एकत्र हो गए। इससे सहायक संरचना के विकास और मजबूती की आवश्यकता रेखांकित होती है।

IV.34 विधिक प्रक्रियाओं के जरिए वसूली हेतु संदर्भित मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होते ही आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) को दबावपूर्ण आस्तियों की बिक्री करके तुलन-पत्रों को दुरुस्त करने के काम में वर्ष-दर-वर्ष कमी आई है और वर्ष 2018-19 की शुरूआत में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (चार्ट IV.16)। हालाँकि, आस्तियों के अंकित मूल्य के अनुपात के रूप में एआरसी की अधिग्रहण लागत और भी बढ़ी है। यह दर्शाता है कि बैंकों को इन बिक्री के कारण कम मार्जिन वहन करना पड़ा था।

IV.35 एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में बैंकों के अभिदान की हिस्सेदारी जून 2019 के अंत तक एक साल पहले के 79.8 प्रतिशत से घटकर 69.5 प्रतिशत रह गई। यह कमी एसआर में उनका निवेश कम करने और प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के निवेशक आधार को विविधतापूर्ण बनाने के अनुरूप है (सारणी IV.11)।

### *4.6 बैंकिंग क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी*

IV.36 धोखाधड़ी, विशेष रूप से बड़े मामलों की, रिपोर्टिंग में अंतराल की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 में बैंकों

**सारणी IV.10: विभिन्न माध्यमों से वसूल किए गए एससीबी के एनपीए**

(राशि ₹ करोड़ में)

| वसूली चैनल | 2017-18 | | | | 2018-19 (पी) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भेजे गए मामलों की संख्या | शामिल राशि | वसूली गई राशि* | कॉलम(4) के % के रूप में कॉलम(3) | भेजे गए मामलों की संख्या | शामिल राशि | वसूली गई राशि* | कॉलम(7) के % के रूप में कॉलम(8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| लोक अदालत | 33,17,897 | 45,728 | 1,811 | 4.0 | 40,80,947 | 53,506 | 2,816 | 5.3 |
| डीआरटी | 29,345 | 1,33,095 | 7,235 | 5.4 | 52,175 | 3,06,499 | 10,574 | 3.5 |
| सरफेसी अधिनियम | 91,330 | 81,879 | 26,380 | 32.2 | 2,48,312 | 2,89,073 | 41,876 | 14.5 |
| आईबीसी | 704@ | 9,929 | 4,926 | 49.6 | 1,135@ | 1,66,600 | 70,819 | 42.5 |
| **कुल** | **34,39,276** | **2,70,631** | **40,352** | **14.9** | **43,82,569** | **8,15,678** | **1,26,085** | **15.5** |

**टिप्पणियाँ :** 1. पी: अनंतिम
2. * : वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि को दर्शाता है, जो दिए गए वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान निर्दिष्ट मामलों से संबंधित भी हो सकता है।
3. डीआरटी: ऋण वसूली न्यायाधिकरण, सरफेसी अधिनियम : वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002।
4. @: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए गए मामले।
5. वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आईबीसी से संबंधित आंकड़ों की गणना आईबीबीआई न्यूजलेटरों से प्राप्त तिमाही आंकड़ों को जोड़ते हुए की गई है।

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक और आईबीबीआई।

**चार्ट IV. 16 एआरसी को दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री**

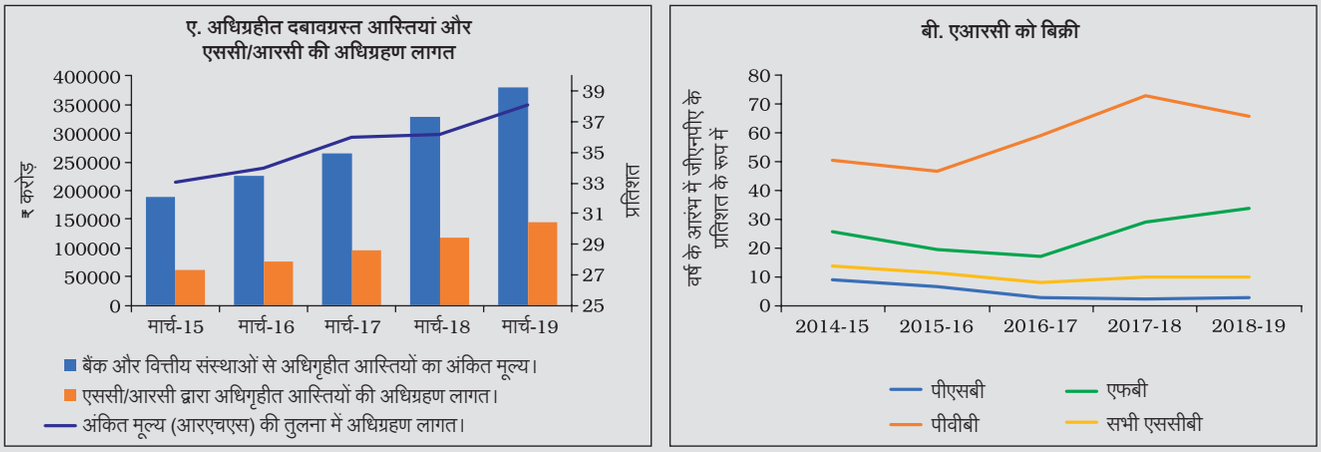


**स्रोत :** एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरणियां और ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और इसमें फंसी हुई राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई। यदि इनके घटित होने की तारीख पर इनका विश्लेषण किया जाता तो दोनों घटनाएँ कम देखने को मिलतीं (सारणी IV.12 और IV.13)। फरवरी 2018 में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में धोखाधड़ी की समय पर पहचान और उससे संबंधित रिपोर्टिंग और जांच के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसके तहत, उनसे अपेक्षित है कि धोखाधड़ी वाले लेन-देन को उजागर करने के प्रयासों के पूरक के रूप में ₹50 करोड़ से अधिक के एनपीए खातों की संभावित धोखाधड़ी की दृष्टि से जांच करें। वर्ष 2018-19 में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों में तेज उछाल कई वर्षों के दौरान किए गए धोखाधड़ी संबंधी लेन-देन का पता लगाने के अन्य व्यापक प्रयासों के साथ-साथ इसके कारण ही आया प्रतीत होता है।

**सारणी IV.11: एआरसी द्वारा प्रतिभूतीकृत वित्तीय आस्तियों का ब्योरा**

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | जून-16 | जून-17 | जून-18 | जून-19 |
|---|---|---|---|---|
| 1. अधिग्रहित आस्तियों का अंकित मूल्य | 2,37,653 | 2,62,733 | 3,30,563 | 3,88,069 |
| 2. एससी/आरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों की संख्या | 79,020 | 93,918 | 1,20,308 | 1,46,409 |
| 3. द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीद | | | | |
| (ए) बैंक | 65,119 | 77,653 | 95,951 | 1,01,733 |
| (बी) एससी/ आरसी | 11,406 | 14,159 | 20,165 | 27,480 |
| (सी) एफ़आईआई | 326 | 326 | 505 | 1,735 |
| (डी) अन्य (पात्र संस्थागत खरीदार) | 2,170 | 1,779 | 3,686 | 15,521 |
| 4. पूर्णत: मोचित प्रतिभूति रसीदों की राशि | 7,200 | 7,355 | 8,830 | 12,906 |
| 5. बकाया प्रतिभूतिकृत रसीदें | 64,117 | 78,312 | 98,118 | 1,14,615 |

**स्रोत :** एआरसी द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

IV.37 वर्ष 2018-19 में संख्या और राशि दोनों की दृष्टि से ऋण पोर्टफोलियो में धोखाघड़ी की घटना सर्वाधिक हुई हैं। मूल्य की दृष्टि से बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों जैसे-कार्ड/इंटरनेट, तुलनपत्रेतर और विदेशी कारोबार आदि घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई हैं (रिर्पोटिंग की तिथि के परिप्रेक्ष्य में)। बड़ी राशि वाली धोखाधड़ियों[12] के तौर-तरीकों में, जिसमें वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई सभी धोखाधड़ियों की हिस्सेदारी का 86.4 प्रतिशत है, इसमें अन्य बातों के साथ विभिन्न माध्यमों, मुख्य रूप से संबद्ध या शेल कंपनियों के माध्यम से उधारकर्ताओं द्वारा निधियों का अंतरण, लेखा अनियमितताओं; वित्तीय या स्टॉक स्टेटमेंट में हेरफेर; उधारदाताओं से बिना किसी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के ऋण देने वाले कंसोर्टियम के बाहर बैंकों के साथ चालू खाते खोलना; और साख पत्र (एलसी) का जारी करना आदि शामिल हैं।

IV.38 2018-19 में, बैंकों में बड़े पैमाने में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। इसमें रिपोर्ट किए गए मामलों की 55.4 प्रतिशत संख्या और 90.2 प्रतिशत राशि शामिल थी। यह विषेशकर

[12] ₹50 करोड़ या उससे अधिक राशि वाले।

**सारणी IV.12 डेटा रिपोर्टिंग के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी**
(मार्च के अंत में)

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

| | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| अग्रिम | 2,251 | 17,122 | 2,125 | 17,368 | 2,322 | 20,561 | 2,525 | 22,558 | 3,606 | 64,548 |
| कार्ड/ इंटरनेट | 845 | 52 | 1,191 | 40 | 1,372 | 42 | 2,059 | 110 | 1,866 | 71 |
| जमाराशियाँ | 876 | 437 | 757 | 809 | 695 | 903 | 691 | 457 | 593 | 148 |
| नकद | 153 | 43 | 160 | 22 | 239 | 37 | 218 | 40 | 274 | 56 |
| अन्य | 179 | 162 | 176 | 146 | 153 | 77 | 138 | 242 | 197 | 244 |
| चेक/डिमांड | 254 | 26 | 234 | 25 | 235 | 40 | 207 | 34 | 189 | 34 |
| तुलन पत्र से इतर | 10 | 699 | 4 | 132 | 5 | 63 | 20 | 16,288 | 33 | 5,538 |
| समाशोधन, आदि खाता | 29 | 7 | 17 | 87 | 27 | 6 | 37 | 6 | 24 | 209 |
| विदेशी मुद्रा लेन-देन | 16 | 899 | 17 | 51 | 16 | 2,201 | 9 | 1,426 | 13 | 695 |
| अनिवासी खाता | 22 | 8 | 8 | 9 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| अंतर-शाखा खाता | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| **कुल** | **4,639** | **19,455** | **4,693** | **18,699** | **5,076** | **23,934** | **5,916** | **41,167** | **6,801** | **71,543** |

**टिप्पणियाँ :** 1. ₹1 लाख और इससे ऊपर की घोखाधड़ी को दर्शाता है।
2. बैंकों और एफ़आई द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज कराए गए संशोधनों पर आधारित परिवर्तनों के अधीन है।
3. किसी वर्ष में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले रिपोर्ट किए जाने से कई वर्ष पूर्व घटित हुए हो सकते हैं।
4. रिपोर्ट की गई राशि घाटे की राशि को प्रदर्शित नहीं करती है। वसूलियों के आधार पर हुए घाटे में कमी हो जाती है। इसके अलावा यह आवश्यक नही है कि संबद्ध पूर्ण राशि का घाटा हुआ हो।

**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

यथोचित आंतरिक प्रक्रिया, परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों और लोगों के कमी को दर्शाती है। इनमें निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और एफ़बी की हिस्सेदारी क्रमशः 30.7 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत रही जबकि बाद वाले (परिचालन जोखिम) में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 में, बड़ी राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की हिस्सेदारी 91.6 प्रतिशत के और भी ऊंचे स्तर पर थी।

**सारणी IV.13: घटना की तिथि के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी**
(मार्च के अंत में)

(मामले संख्या में और राशि ₹ करोड़ में)

| | Prior to 2014-15 | | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| अग्रिम | 6,268 | 87,374 | 1,897 | 18,168 | 1,743 | 14,570 | 1,265 | 9,550 | 1,024 | 8,863 | 632 | 3,634 |
| कार्ड/इंटरनेट | 271 | 16 | 918 | 58 | 1,173 | 43 | 1,367 | 40 | 2,127 | 101 | 1,477 | 58 |
| जमाराशियां | 657 | 935 | 790 | 214 | 719 | 600 | 602 | 665 | 524 | 294 | 320 | 45 |
| नकद | 54 | 21 | 159 | 36 | 155 | 20 | 276 | 41 | 207 | 38 | 193 | 40 |
| अन्य | 236 | 450 | 161 | 33 | 133 | 165 | 132 | 50 | 98 | 146 | 83 | 27 |
| चेक/ डिमांड ड्राफ्ट आदि | 92 | 26 | 272 | 23 | 235 | 31 | 217 | 33 | 199 | 34 | 104 | 12 |
| तुलन पत्र से इतर | 23 | 1,980 | 13 | 1,720 | 11 | 1,132 | 13 | 15,023 | 4 | 298 | 8 | 2,569 |
| समाशोधन, आदि खाता | 17 | 15 | 23 | 79 | 19 | 4 | 29 | 7 | 33 | 5 | 13 | 205 |
| विदेशी मुद्रा लेन-देन | 20 | 1,004 | 18 | 3,361 | 9 | 205 | 15 | 473 | 5 | 83 | 4 | 145 |
| अनिवासी खाता | 15 | 16 | 16 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| अंतर-शाखा खाता | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| **कुल** | **7,658** | **91,839** | **4,269** | **23,695** | **4,207** | **16,779** | **3,927** | **25,884** | **4,228** | **9,866** | **2,836** | **6,735** |

**टिप्पणियाँ :** 1. ₹ 1 लाख और इससे अधिक की धोखाधड़ी को दर्शाता है।
2. बैंकों और एफ़आई द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा दर्ज कराए गए संशोधनों पर आधारित परिवर्तनों के अधीन है।
3. 'घटना की तिथि' पर आधारित डेटा समयावधि के लिए बदल सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी की सूचना देर से मिलती है, लेकिन इसमें पूर्व भी घटनाओं को जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, 2016-17 में होने वाली धोखाधड़ी के लिए, 1 अप्रैल, 2018 को जेनरेट डेटा 1 अप्रैल, 2019 को जेनेरेट डेटा से अलग होगा, क्योंकि 1 अप्रैल, 2018 और 31 मार्च, 2019 के बीच की धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट हुई थी लेकिन वर्ष 2016-17 बाद की रिपोर्ट में जोड़ा गया।

**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

## 5. क्षेत्रगत बैंक ऋण : वितरण और एनपीए

IV.39 2012-13 से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते एनपीए की प्रतिक्रिया में बैंकों ने अपने पोर्टफोलियों में विविधता लाते हुए सेवाओं क्षेत्रों और खुदरा ऋणों की ओर रूख किया (चार्ट IV.17 अ)। खुदरा ऋणों के अंतर्गत आवास ऋण के प्रमुख हिस्सों में वृद्धि हुई (चार्ट IV. 17 बी)।

IV.40 वर्ष 2018-19 के दौरान, कृषि क्षेत्र के बैंक ऋण में वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा समपार्श्विक रहित कृषि ऋण की सीमा में की गयी वृद्धि और उचित लागत पर कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई गयी ब्याज अनुदान योजना के विस्तार के कारण हुआ (सारणी IV.14)। हालांकि, 2019-20 की पहली छमाही में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई। वर्ष 2018-19 और 2019-20 की पहली छमाही में बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण जीएनपीए अनुपात में असंतोषजनक वृद्धि हुई (चार्ट IV. 18 ए)। वस्तुतः, कृषि संबंधी ऋण की समीक्षा हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एम. के. जैन) द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि उन राज्यों में एनपीए बढ़ा है जिन्होंने वर्ष 2017-18 और 2018-19 में कृषक ऋण माफी कार्यक्रमों की घोषणा की थी।

IV.41 उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अब तक गिरावट आई है, इससे औद्योगिक उत्पादन में आंशिक गिरावट का पता चलता है (सारणी IV.14)। वर्ष 2018-19 में 19 उद्योग उप-समूहों में से, पिछले वर्ष में 12 की तुलना में सिर्फ 8 में ऋण वृद्धि हुई। अन्य उप-समूहों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, कागज़ और कागज़ उत्पादों, पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों, रत्न और आभूषण और मूलभूत धातु के ऋण प्रवाह में भी गिरावट देखी गई।

IV.42 2018-19 और 2019-20 की पहली छमाही में आईबीसी के जरिए वसूलियों में बढ़ोतरी और नए सिरे से आने वाली गिरावटों में कमी के कारण बैंकों की औद्योगिक आस्तियों की गुणवत्ता से सुधार हुआ। इस संदर्भ में बड़े उद्योगों ने सबसे अच्छी प्रगति की (चार्ट IV.18 बी)। सितंबर 2019 के अंत में कुल एनपीए का दो-तिहाई होने के बावजूद, औद्योगिक जीएनपीए अनुपात 17.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा।

IV.43 नौपरिवहन, व्यापार, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और एनबीएफ़सी में बढ़े हुए प्रवाह से सेवा क्षेत्रों में होने वाले ऋण वृद्धि में तेजी आई। गैर-खाद्य क्षेत्र में हुए वृद्धिशील ऋण विस्तार में से एनबीएफसी की 14.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी है - जो सेवाओं के

**चार्ट IV.17: क्षेत्रगत वितरण**

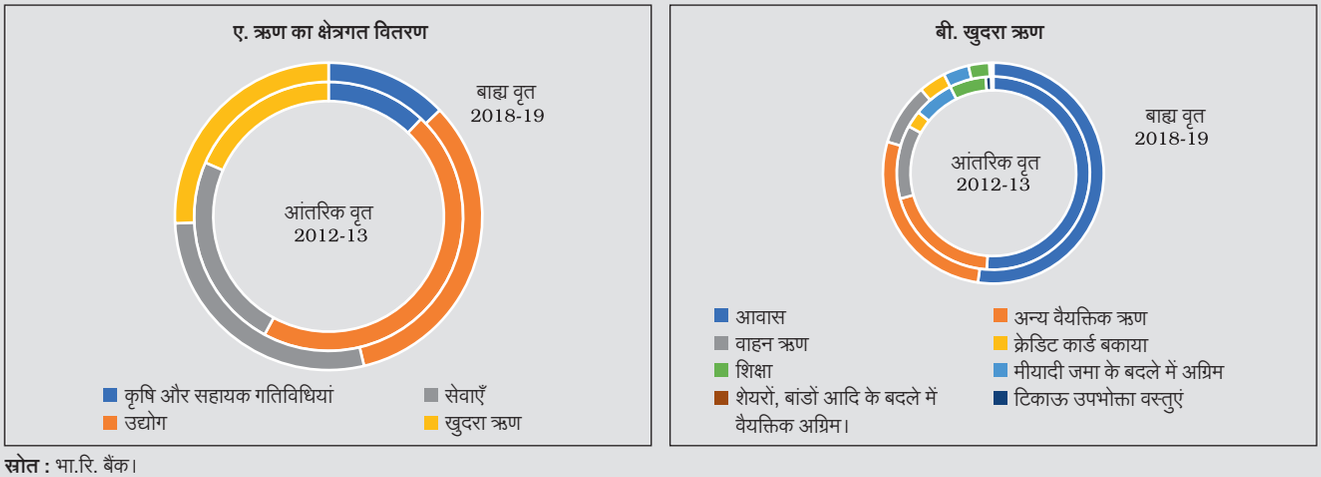


**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

**चार्ट IV.18: एससीबी का क्षेत्रगत एनपीए**

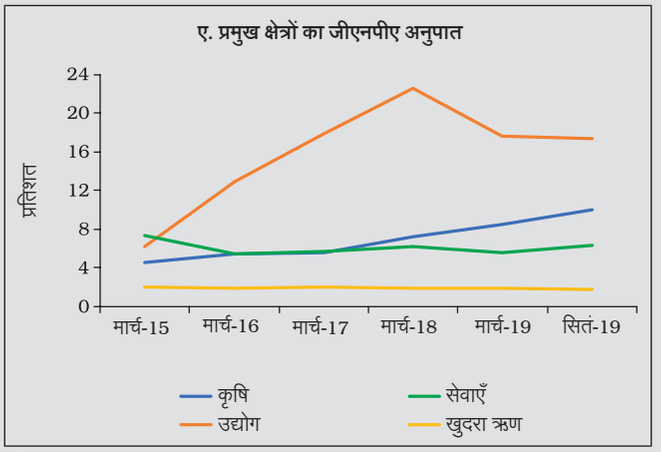


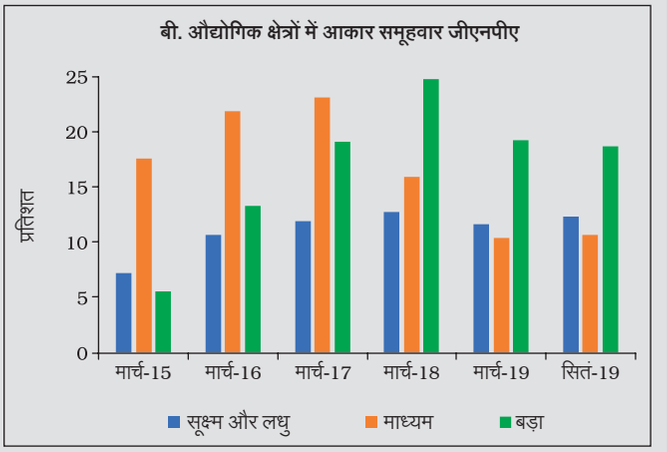


**स्रोत :** ऑफ-साइट (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

उप-क्षेत्रों में सबसे अधिक है। यह रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की नई पहल को दर्शाता है। खुदरा ऋण में कुछ कमी होने के बावजूद इसमें द्विअंकीय वृद्धि हुई, जिसमें विस्तार के लिए पिछले आठ वर्षों से प्रयास चल रहा था। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में इन दोनों क्षेत्रों में मंदी आई है (सारणी IV.14)।

**सारणी IV.14: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रगत विनियोजन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. और मद | बकाया की अवधि | | | प्रतिशत में घट-बढ़ (वर्ष-दर-वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च-18 | मार्च-19 | सितं-19 | 2017-18* | 2018-19** | 2019-20 (सितंबर तक)^ |
| **1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ** | **11,93,400** | **13,25,824** | **12,06,850** | **7.2** | **11.1** | **-0.6** |
| **2. उद्योग,** *जिसमें से* | **31,29,512** | **33,04,940** | **31,74,214** | **6.2** | **5.6** | **0.2** |
| 2.1 सूक्ष्म और लघु उद्योग | 4,18,225 | 4,38,392 | 4,33,908 | 8.8 | 4.8 | -0.4 |
| 2.2 मध्यम | 1,25,960 | 1,23,843 | 1,18,261 | 6.3 | -1.7 | -6.6 |
| 2.3 बड़े | 24,62,576 | 26,24,288 | 25,30,553 | 4.6 | 6.6 | 1.8 |
| **3. सेवाएं,** *जिसमें से* | **19,98,817** | **24,77,517** | **25,77,530** | **10.6** | **23.9** | **16.9** |
| 3.1 व्यापार | 5,19,398 | 5,83,613 | 5,83,264 | 7.5 | 12.4 | 12.7 |
| 3.2 वाणिज्यिक स्थावर संपदा | 2,04,414 | 2,43,122 | 2,57,959 | 3.4 | 18.9 | 12.4 |
| 3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टोरेन्ट | 52,095 | 56,194 | 56,766 | 9.9 | 7.9 | 3.2 |
| 3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 22,299 | 22,236 | 22,576 | 14.9 | -0.3 | -0.7 |
| 3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां | 4,53,123 | 6,14,922 | 7,09,833 | 31.7 | 35.7 | 30.5 |
| **4. खुदरा ऋण,** *जिसमें से* | **19,42,501** | **23,02,173** | **24,64,985** | **20.5** | **18.5** | **18.1** |
| 4.1 आवास ऋण | 10,08,013 | 12,04,332 | 13,03,629 | 18 | 19.5 | **18.5** |
| 4.2 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं | 19,036 | 9,195 | 8,902 | -11.6 | -51.7 | **110.2** |
| 4.3 क्रेडिट कार्ड से प्राप्य राशियां | 82,827 | 1,11,361 | 1,21,708 | 27.7 | 34.5 | 30.5 |
| 4.4 ऑटो लोन | 2,38,787 | 2,69,672 | 2,75,500 | 27.9 | 12.9 | 8.6 |
| 4.5 शिक्षा ऋण | 74,883 | 76,210 | 78,237 | 2.7 | 1.8 | 2.4 |
| 4.6 मीयादी जमा पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी) आदि सहित) | 77,175 | 77,080 | 63,215 | 13.5 | -0.1 | **-4.8** |
| 4.7 शेयर, बॉण्ड आदि को वैयक्तिक अग्रिम | 6,385 | 9,339 | 8,655 | 26.1 | 46.3 | 33.4 |
| 4.8 अन्य खुदरा ऋण | 4,35,396 | 5,44,983 | 6,05,139 | 28.2 | 25.2 | 24.2 |
| **5. गैर-खाद्य ऋण (1- 4)** | **83,61,294** | **94,71,480** | **36,71,836** | **10.5** | **13.3** | 8.6 |
| **6. सकल बैंक ऋण** | **83,99,196** | **95,19,554** | **95,57,487** | **10.4** | **13.3** | 8.9 |

*: मार्च 2017 की तुलना में मार्च 2018 **: मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019. ^: सितम्बर 2018 की तुलना में सितम्बर 2019।
**स्रोत :** भा.रि. बैंक की ओ-साईट विवरणियां (घरेलू परिचालन)।

**चार्ट IV.19: क्षेत्रगत ऋण : पीएसबी बनाम पीवीबी**

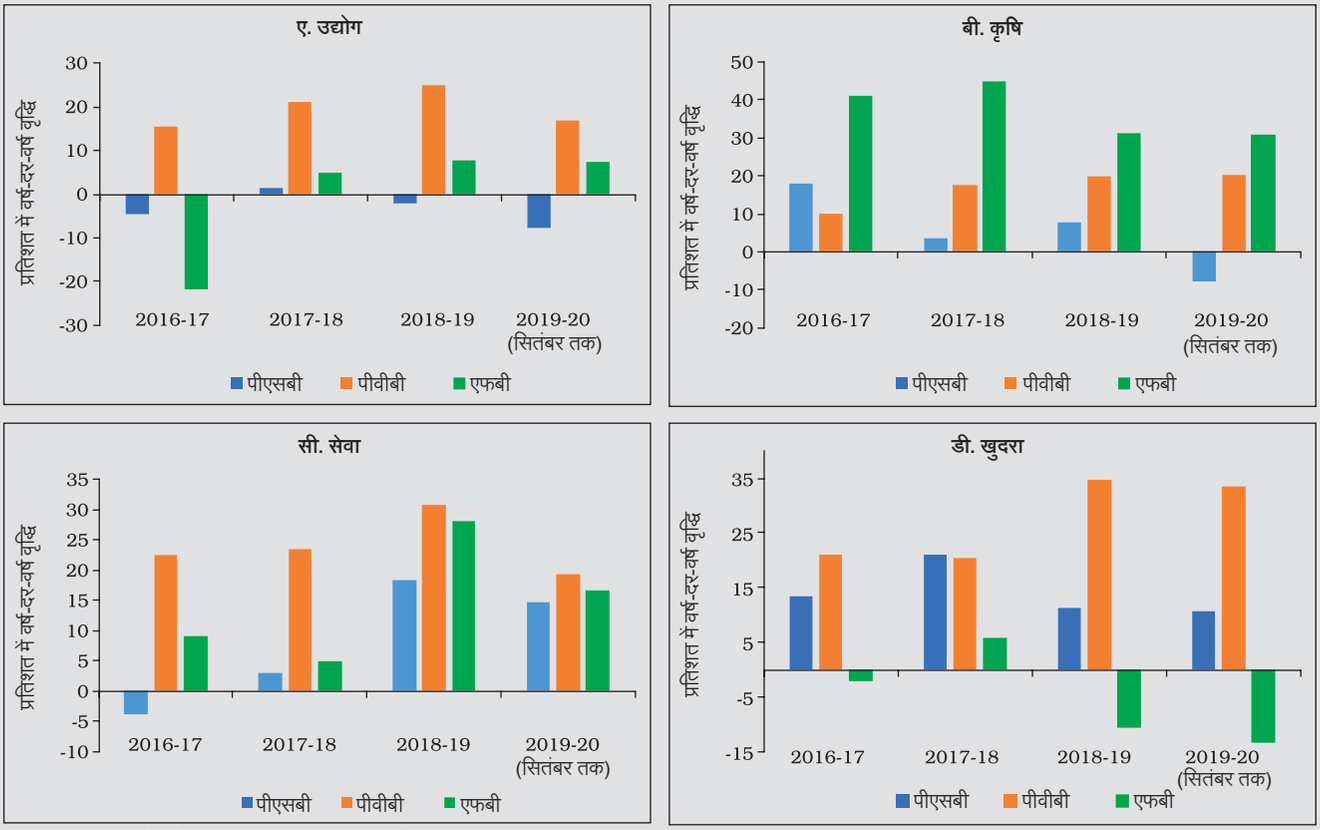


**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

IV.44 निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने सभी प्रमुख क्षेत्रों में द्विअंकीय ऋण वृद्धि को बनाए रखा है। वर्ष 2018-19 में, अपेक्षाकृत दवाब-मुक्त रहे खुदरा और सेवा क्षेत्रों में इनका ऋण 30 प्रतिशत से अधिक हो गया (चार्ट IV.19)। सेवा क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दिए गए ऋण में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिसमें प्राथमिक रूप से एनबीएफ़सी तथा उसके बाद वाणिज्यिक स्थावर संपदा का योगदान रहा। इसके विपरीत, सेवा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) का एक्सपोजर काफी अधिक व्यापक था और एनबीएफ़सी को दिए गए ऋण में भी तेजी आई।

IV.45 गत वर्षों के संबंध में, ऑटो और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में एक्सपोज़र को कम करने की वजह से 2018-19 में बैंक के खुदरा ऋणों में गिरावट आई। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने आवास ऋण वर्ग में भारी गिरावट का सामना किया, जो उनके कुल खुदरा ऋण में आधे से भी अधिक है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने ऑटो और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु वर्ग में धीमी वृद्धि की भरपाई आवास ऋणों के वितरण बढ़ाकर की, जिसमें 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

IV.46 पर्यवेक्षी आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 की पहली छमाही में सेवा एवं खुदरा क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की ऋण वृद्धि धीमी हुई और उनके कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में गिरावट आई। कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की ऋण वृद्धि में कमी आई लेकिन वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की अपेक्षा अधिक रही (चार्ट IV.19)। यह प्रतीत होता है कि कमजोर उपभोक्ता मांग और मंद आर्थिक गतिविधि की वजह से समग्र ऋण वृद्धि प्रभावित हुई है।

*5.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण*

IV.47 वर्ष 2018-19 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में तेजी आई जो मुख्य रूप से कृषि और आवास क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों की वसूली की बदौलत संभव हो पाई। प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने के

**चार्ट IV.20: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण – सभी एससीबी**

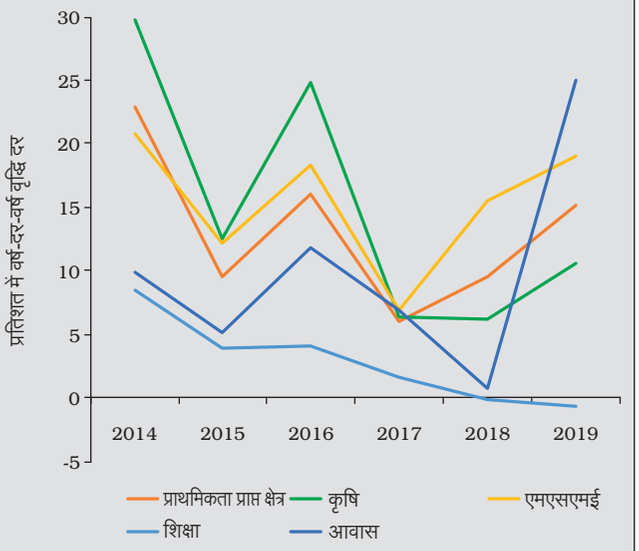


**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

लिए दृढ़ अभियान के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए आवास ऋण सीमाओं की पात्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक की जून 2018 की पहल से आवास ऋण वृद्धि 2017-18 के 0.7 प्रतिशत से तेजी से उछलकर 2018-19 में 24.9 प्रतिशत पर पहुंच गई (चार्ट IV.20)। निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) -दोनों ने इस बहाली में योगदान किया।

IV.48 सभी बैंक समूह समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि, कुछ उप-लक्ष्यों में कमी पाई गई, जैसे सूक्ष्म उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), छोटे और सीमांत किसानों में पीवीबी, तथा गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत किसानों में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) - दोनों (सारणी IV.15)। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) प्लैटफार्म, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में इस उद्देश्य के साथ की गई थी, की बाज़ार व्यवस्था विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक शक्ति का लाभ उठाकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण को बढ़ावा दे सके, की कुल ट्रेडिंग मात्रा 78 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹3,27,429 करोड़ हो गई। चार पीएसएलसी श्रेणियों में से, पीएसएलसी-सामान्य एवं पीएसएलसी-छोटे और सीमांत किसान के मामले में सर्वाधिक ट्रेडिंग दर्ज की गई जिसमें लेन-देन की मात्रा क्रमशः ₹1,32,485 करोड़ तथा ₹1,12,504 करोड़ रही।

**सारणी IV.15: बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण दिया जाना**

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

| मद | लक्ष्य/ उप-लक्ष्य (एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत) | सरकारी क्षेत्र के बैंक | | निजी क्षेत्र के बैंक | | विदेशी बैंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया राशि | एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत | बकाया राशि | एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत | बकाया राशि | एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम** | **40** | **23,05,977** | **42.55** | **10,18,993** | **42.49** | **1,54,336** | **43.41** |
| *जिनमें से* | | | | | | | |
| कुल कृषि | 18 | 9,82,117 | 18.12 | 3,91,015 | 16.31 | 36,820 | 20.13 |
| लघु और सीमांत कृषक | 8 | 4,78,705 | 8.83 | 1,66,359 | 6.94 | 16,457 | 9.00 |
| गैर-कॉर्पोरेट व्यक्तिगत कृषक# | 11.99 | 6,80,417 | 12.56 | 2,66,883 | 11.13 | 19,394 | 10.61 |
| सूक्ष्म उद्यम | 7.5 | 3,96,832 | 7.32 | 1,89,958 | 7.92 | 15,398 | 8.42 |
| कमजोर वर्ग | 10 | 6,35,424 | 11.73 | 2,54,847 | 10.63 | 21,141 | 11.56 |

**टिप्पणियां :** 1. #: घरेलू एससीबी को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था कि गैर-कॉर्पोरेट किसानों को दिया जाने वाला समग्र ऋण गत तीन वर्षों की उपलब्धियों के प्रणाली-वार औसत से कम न हो। उन लाभार्थियों को 13.5 प्रतिशत स्तर तक प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जो पूर्व में प्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत उपलब्धि की गणना हेतु लागू प्रणाली वार औसत आंकड़े प्रत्येक वर्ष अधिसूचित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लागू प्रणाली वार औसत आंकड़ा 11.99 प्रतिशत है।

2. जिन विदेशी बैंकों की 20 से कम शाखाएं हैं, उनके द्वारा गत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक है, के 40 प्रतिशत का लक्ष्य मार्च 2020 तक चरणबद्ध रूप से प्राप्त किया जाना है।

**स्रोत :** वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी), भा.रि. बैंक।

**सारणी IV.16: बैंकों के क्षेत्र-वार जीएनपीए**
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| बैंक समूह | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | *जिनमें से* | | | | | | गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | कुल एनपीए | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कृषि | | सूक्ष्म और लघु उद्यम | | अन्य | | | | | |
| | राशि | प्रतिशत# | राशि | प्रतिशत# | राशि | प्रतिशत# | राशि | प्रतिशत# | राशि | प्रतिशत# | राशि | प्रतिशत# |
| **पीएसबी*** | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1,87,511 | 22.2 | 75,274 | 8.9 | 82,094 | 9.7 | 30,143 | 3.6 | 6,57,964 | 77.8 | 8,45,475 | 100 |
| 2019 | 1,97,334 | 27.8 | 95,938 | 13.5 | 73,381 | 10.3 | 28,016 | 3.9 | 5,12,774 | 72.2 | 7,10,109 | 100 |
| **पीवीबी** | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 18,426 | 18.0 | 7,789 | 7.6 | 8,013 | 7.8 | 2,624 | 2.6 | 83,998 | 82.0 | 1,02,424 | 100 |
| 2019 | 29,721 | 19.0 | 12,679 | 8.1 | 12,796 | 8.2 | 4,246 | 2.7 | 1,26,991 | 81.0 | 1,56,712 | 100 |
| **एफबी** | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1,184 | 8.6 | 78 | 0.6 | 552 | 4.0 | 554 | 4.0 | 12,645 | 91.4 | 13,830 | 100 |
| 2019 | 1,101 | 9.0 | 105 | 0.9 | 616 | 5.1 | 379 | 3.1 | 11,082 | 91.0 | 12,183 | 100 |
| **सभी एससीबी**** | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2,07,120 | 21.5 | 83,141 | 8.6 | 90,659 | 9.4 | 33,321 | 3.5 | 7,54,608 | 78.5 | 9,61,728 | 100 |
| 2019 | 2,28,156 | 26.0 | 1,08,722 | 12.4 | 86,792 | 9.9 | 32,642 | 3.7 | 6,50,847 | 74.0 | 8,79,003 | 100 |

**टिप्पणियाँ :** 1. राशि :- राशि; प्रतिशत : कुल एनपीए का प्रतिशत
2. *: 2018 हेतु आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
3. ^: 2019 हेतु आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
4. पूर्णांकन किए जाने के कारण संघटकों का जोड़ कुल योग से भिन्न हो सकता है।
5. # कुल एनपीए में हिस्सा।
6. **: इसमें एसएफबी शामिल नहीं है।

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

IV.49 कुल बैंक ऋण[13] में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत है, वहीं कुल जीएनपीए में इसकी हिस्सेदारी कुल का 26 प्रतिशत है। यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 के अंत में 7.1 प्रतिशत था जो मार्च 2019 के अंत में मामूली रूप से घटकर 6.8 प्रतिशत रह गया, लेकिन वर्ष के दौरान कुल जीएनपीए में इसकी हिस्सेदारी बढ़ गई, जिसका मुख्य कारण गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन रहा (सारणी IV.16)।

### *5.2 संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण*

IV.50 वर्ष 2018-19 के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों[14] में बैंकों का एक्सपोज़र बढ़कर कुल ऋणों और अग्रिमों का 23.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 में पूंजी बाजारों को उधार में कमी आई क्योंकि बैंकों ने बाजार में अस्थिरता को देखते हुए अपने-अपने तुलन-पत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास किया (चार्ट IV.21 एवं परिशिष्ट सारणी IV.4)।

**चार्ट IV.21: संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि**

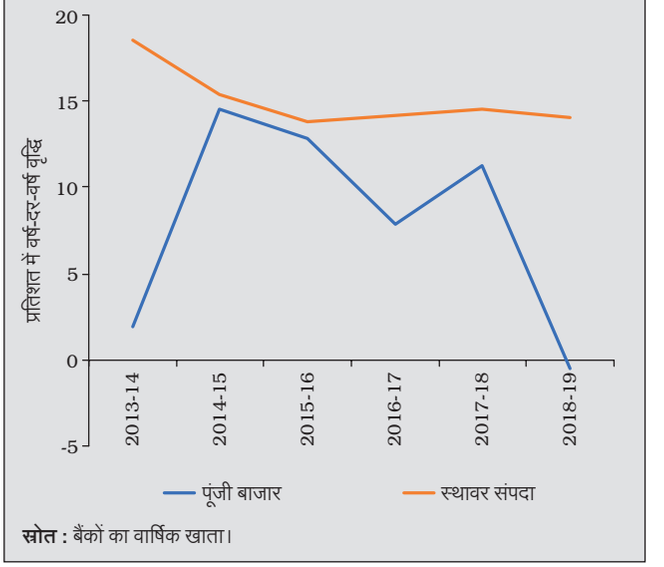


**स्रोत :** बैंकों का वार्षिक खाता।

[13] जो एएनबीसी का 43 प्रतिशत है।
[14] संवेदनशील क्षेत्रों में पूंजी बाजार, स्थावर संपदा एवं पण्य शामिल हैं।

## 6. पूंजी बाजार में एससीबी का परिचालन

IV.51 अस्थिर बाजार स्थितियों और अन्य अनिश्चितताओं को देखते हुए, जो इक्विटी बाजार से संसाधन जुटाने के अनुकूल नहीं थीं, बैंकों ने सार्वजनिक निर्गमों का जोखिम नहीं उठाया। अपनी वित्तीय स्थिति के मद्देनजर, कर्ज पर उच्च ब्याज लागत की वजह से बैंक बांड बाजार से धन जुटाने में असमर्थ थे। इस प्रकार, 2018-19 और 2019-20 (सितंबर 2019 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) या निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) दोनों में से किसी के भी द्वारा सार्वजनिक निर्गम नहीं किया गया। निर्गमों की संख्या और जुटाई गई राशि दोनों के संदर्भ में, बांड के निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से संसाधन जुटाने में भी गिरावट आई। गत दो वर्षों की भांति, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने 2018-19 के दौरान बड़े आकार के निजी स्थानन के जरिए संसाधन जुटाए (चार्ट IV.22 ए और बी)।

## 7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में स्वामित्व का स्वरूप

IV.52 मार्च 2019 के अंत में, पुनर्पूंजीकरण की वजह से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सरकार की शेयरधारिता बढ़ी, जबकि यह चार बैंकों में घटी, हालांकि, यह कमी थोड़ी रही, और तीन बैंकों में स्थिर रही (चार्ट IV.23)। वर्ष 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूंजी डालने और उनके विलय को लेकर बनाई गई योजना से स्वामित्व के स्वरूप में

**चार्ट IV.23: चुनिंदा पीएसबी में सरकार की शेयरधारिता**
(मार्च के अंत में)

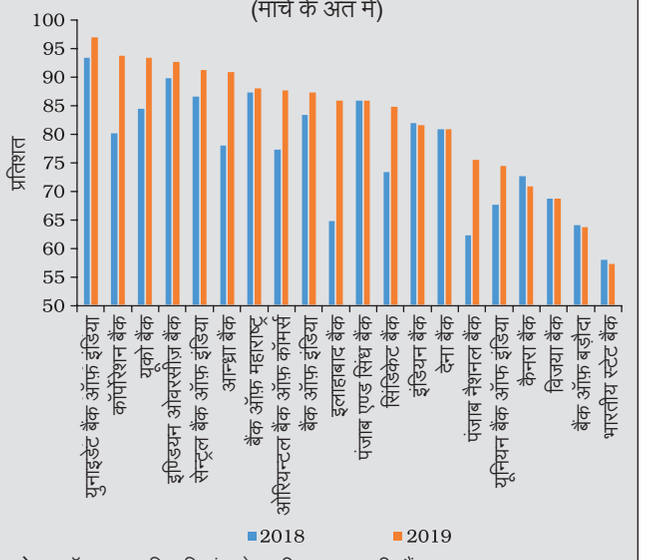


**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

और बदलाव की संभावना है। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत प्राप्त किए जाने के बाद आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का 21 जनवरी 2019 से निजी करण हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अधिकतम विदेशी शेयरधारिता जहां 11.3 प्रतिशत थी, वहीं चार निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में मार्च 2019 के अंत में 50 प्रतिशत से अधिक की विदेशी हिस्सेदारी थी (परिशिष्ट सारणी IV.5)।

**चार्ट IV.22: बैंकों द्वारा निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से जुटाए गए संसाधन**

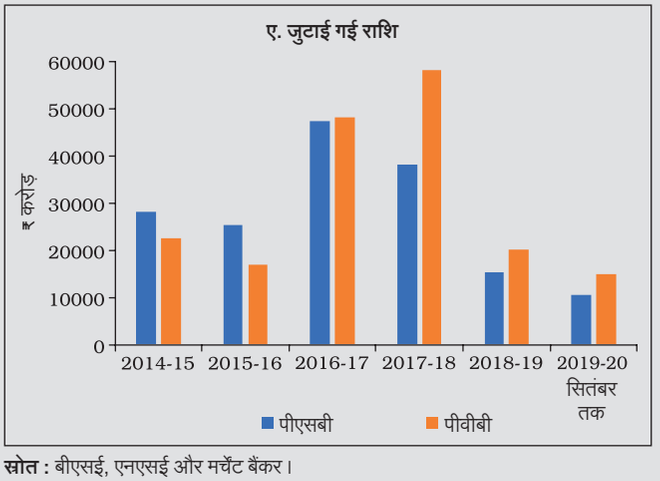


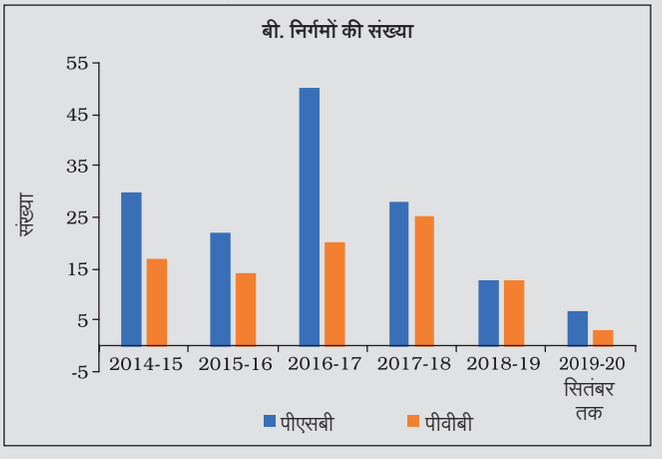


**स्रोत :** बीएसई, एनएसई और मर्चेंट बैंकर।

## 8. भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन एवं भारतीय बैंकों के सीमा-पार परिचालन

IV.53 हाल के वर्षों के रुझान के विपरीत 2018-19 के दौरान, भारत में विदेशी बैंकों (एफबी) द्वारा संचालित शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई (सारणी IV.17)। यह मुख्य रूप से डीबीएस बैंक का शाखा से पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में रूपांतरित होने के बाद उनके द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोलने के कारण हुआ। दूसरी ओर, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने लागत-सक्षमता के उद्देश्य से अलाभकारी विदेशी परिचालनों को बंद करके एवं एक ही शहर या आस-पास के संस्थानों में कई शाखाओं की संख्या का युक्तियुक्तकरण करके शाखाओं, प्रतिनिधि कार्यालयों व अन्य कार्यालयों की दृष्टि से विदेशों में अपनी उपस्थिति काफी घटा ली। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की मौजूदगी कुल मिलाकर स्थिर रही (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

**सारणी IV.17: भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन**

| अवधि | विदेशी बैंकों की संख्या | शाखाओं की संख्या |
|---|---|---|
| मार्च 2015 | 45 | 321 |
| मार्च 2016 | 46 | 325 |
| मार्च 2017 | 44 | 295 |
| मार्च 2018 | 45 | 286 |
| मार्च 2019 | 45 | 299 |

**टिप्पणी :** दो विदेशी बैंक, नामतः एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमि. जो एसबीएम ग्रुप की सहायक कंपनी है एवं डीबीएस बैंक इंडिया लिमि. जो डीबीएस बैंक की सहायक कंपनी है, पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) के रूप में परिचालनरत हैं। उन्हें क्रमशः 06 दिसंबर 2017 और 04 अक्तूबर 2018 को लाइसेंस जारी किया गया था और उन्होंने डब्ल्यूओएस के रूप में क्रमशः 01 दिसंबर 2018 और 01 मार्च 2019 को परिचालन शुरू किया।
**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

## 9. भुगतान प्रणालियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)

IV.54 भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों का मूल विज़न *नकदी का न्यूनतम* उपयोग करने वाले समाज का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक भारतीय को ई-भुगतान के कई विकल्पों की ताकत से लैस करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, लागत में सुधार करने, सुविधा को बेहतर करने एवं उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाने के कदमों द्वारा डिजिटल भुगतान को निरापद, सुरक्षित, सुलभ एवं किफ़ायती बनाने पर ध्यान दिया गया है।

IV.55 लेन-देनों[15] में मूल्य के संदर्भ में भुगतान प्रणाली तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का वर्चस्व रहा। मूल्य और मात्रा के संदर्भ में जहां खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वहीं कार्ड भुगतानों (डेबिट और क्रेडिट कार्ड) की मात्रा में थोड़ी कमी आई। जैसा कि हाल ही के वर्षों में रुझान रहा है, कागजी समाशोधन वर्ग में मूल्य और मात्रा -दोनों ही दृष्टि से गिरावट हुई है (चार्ट IV.24)।

**चार्ट IV.24: भुगतान प्रणाली के संघटक**

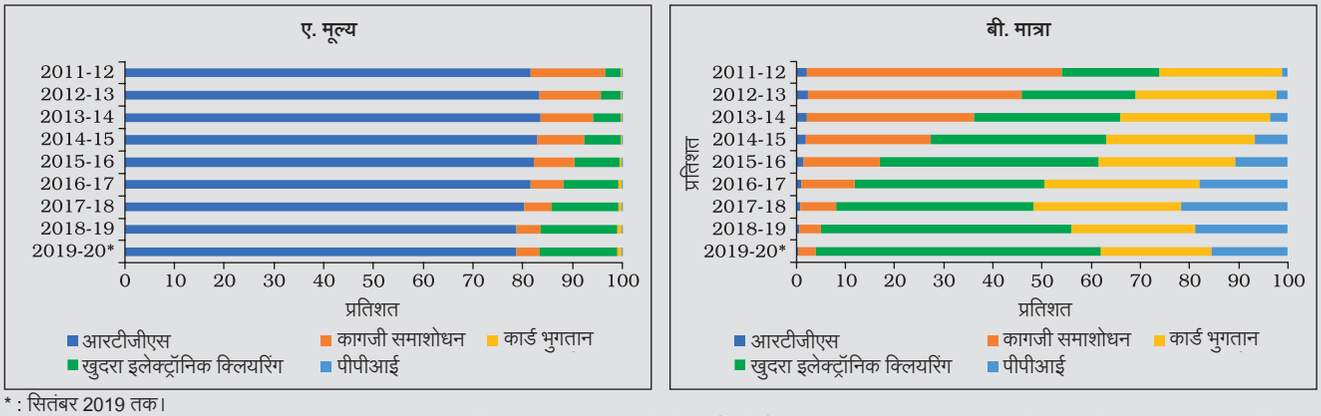


* : सितंबर 2019 तक।
**टिप्पणी :** आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेन एवं अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं। कार्ड भुगतान में बिक्री केन्द्रों (पीओएस) एवं ऑनलाइन प्लैटफार्म पर क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान शामिल हैं।
**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

[15] इसमें आरटीजीएस, कागजी समाशोधन, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन, कार्ड भुगतान एवं पूर्व-दत्त भुगतान लिखत (पीवीआई) आते हैं।

**चार्ट IV.25: भुगतान प्रणाली लेनदेन : वृद्धि**

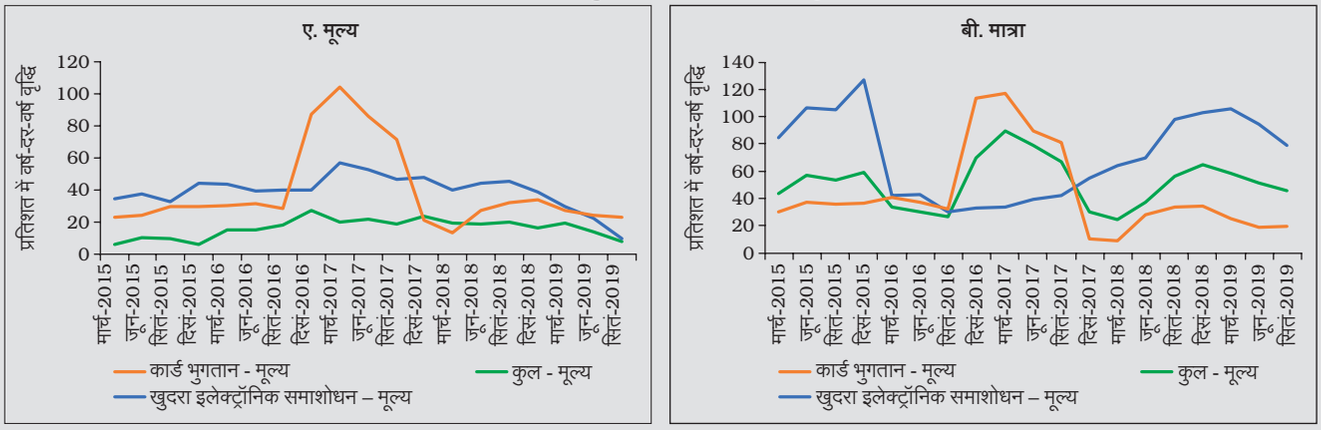


**टिप्पणी :** कार्ड भुगतान में बिक्री केन्द्रों (पीओएस) एवं ऑनलाइन प्लैटफार्म पर क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान शामिल हैं।
**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

IV.56 कार्ड भुगतान – जो पिछले वर्ष के विमुद्रीकरण-जन्य उछाल के बाद 2017-18 में घट गया था – 2018-19 में सुधरा, फिर भी, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की तुलना में मात्रा कम रही जिससे भुगतान परिदृश्य एवं उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलते समीकरण का पता चलता है (चार्ट IV.25)।

## 10. उपभोक्ता संरक्षण

IV.57 रिज़र्व बैंक एक कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली[16] की व्यवस्था करते हुए वित्तीय सेवाओं के प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच सूचना संबंधी विषमताओं को दूर करने, प्रकटीकरण मानकों के संवर्धन तथा ग्राहक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद डिजाइन करने संबंधी प्रक्रियाएं बनाकर ग्राहक-केंद्रित वित्तीय प्रणाली विकसित करने के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। हाल में की गई पहल में शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शामिल है, जो लोकपाल फ्रेमवर्क और उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) को कारगर तरीके से सहारा देने का एक प्रौद्योगिकी-चालित प्लेटफॉर्म है।

IV.58 पिछले कुछ वर्षों में शिकायतों के बढ़ती संख्या से मालूम होता है कि उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी है, विशेष रूप से रिज़र्व बैंक के *'आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए'* और 'क्या आपकी बैंकिंग शिकायत का समाधान नहीं हुआ ? ' जैसे अभियानों के कारण ऐसा हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 32,311 शिकायतें अधिक होने के बावजूद, बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों द्वारा पिछले वर्ष के 96.46 प्रतिशत के मुकाबले 2018-19 में दर्ज शिकायतों में से 94.03 प्रतिशत का निपटान किया गया। यद्यपि उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना बैंकों के विरुद्ध मुख्य शिकायत बनी रही, लेकिन एटीएम / डेबिट / क्रेडिड कार्ड और मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भुगतान माध्यमों के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ इनसे जुड़ी शिकायतों में भी वृद्धि हुई (सारणी IV.18)।

IV.59 शहरी और महानगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का हिस्सा कुल का तीन चौथाई से अधिक है, जो दर्शाता है कि इन जनसंख्या समूहों में ग्राहकों के बीच शिकायत निवारण प्रणाली को लेकर उच्च स्तर की जागरूकता है (चार्ट IV.26)। निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के विरुद्ध दायर पूर्व

[16] *डिजिटल वित्तीय जगत में उपभोक्ता संरक्षण – पहल एवं उससे आगे,* श्री एम के जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक। 21 जून 2019 को मुंबई में बैंकिंग लोकपाल - 2019 के वार्षिक सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य।

**सारणी IV.18: बैंकिंग लोकपाल में शिकायतों का स्वरूप**

| | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|
| उचित व्यवहार संहिता का पालन नहीं करना | 31,769 | 36,146 | 37,557 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड | 16,434 | 24,672 | 36,539 |
| मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग* | - | 8,487 | 14,794 |
| प्रतिबद्धताओं की पूर्ति न कर पाना | 8,911 | 11,044 | 13,332 |
| क्रेडिट कार्ड | 8,297 | 12,647 | 13,274 |
| जमा खाता | 7,190 | 6,719 | 10,844 |
| पूर्व सूचना के बिना शुल्क लगाना | 7,273 | 8,209 | 8,391 |
| ऋण और अग्रिम | 5,559 | 6,226 | 7,610 |
| पेंशन भुगतान | 8,506 | 7,833 | 7,066 |
| बीसीएसबीआई संहिताओं का अनुपालन नहीं करना | 3,699 | 3,962 | 5,981 |
| विप्रेषण | 3,287 | 3,330 | 3,451 |
| परा-बैंकिंग* | - | 579 | 1,115 |
| डीएसए एवं वसूली एजेंट | 330 | 554 | 629 |
| नोट और सिक्का | 333 | 1,282 | 480 |
| अन्य | 23,169 | 26,219 | 28,330 |
| बीओ योजना के दायरे से बाहर | 6,230 | 5,681 | 6,508 |
| **कुल** | **1,30,987** | **1,63,590** | **1,95,901** |

**टिप्पणी :** 1. *: 01 जुलाई 2017 से नए कारण शामिल किए गए।
2. डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।
**स्रोत :** बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

सूचना के बिना शुल्क प्रभारित करने से जुड़ी शिकायतों का अनुपातहीन रूप से बड़ा हिस्सा (45 प्रतिशत, यह देखते हुए कि बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 32 प्रतिशत है) था। इसी तरह, पेंशन से जुड़ी लगभग सभी शिकायतें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के विरुद्ध थीं (चार्ट IV.27)।

## 11. वित्तीय समावेशन

IV.60 अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के बाद से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा ने जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर में बड़े कदम उठाए हैं। 2017 तक, भारत में सबसे गरीब 40 प्रतिशत में से 77 प्रतिशत का किसी न किसी वित्तीय संस्था में खाता था, जो ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक है। अभी भी, वित्तीय प्रणाली के साथ जनता का वास्ता कम है जैसा निष्क्रिय खातों के उच्च अनुपात से पता चलता है (चार्ट IV.28)। इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार भारत 2019-24 हेतु वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय कार्यनीति में औपचारिक वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सुगम एवं किफायती बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नया रूप देने में विभिन्न हितधारकों व बाजार भागीदारों के विचारों को शामिल किया है।

**चार्ट IV.26: बैंकिंग लोकपाल में जनसंख्या समूह-वार प्राप्त शिकायतें**

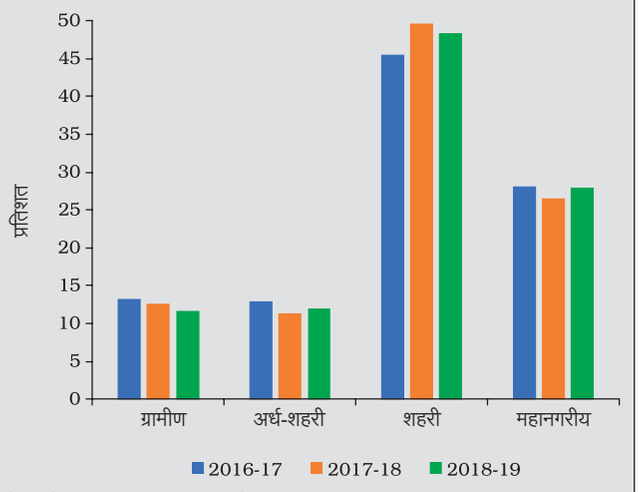


**टिप्पणी :** डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।
**स्रोत :** बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

**चार्ट IV.27: बैंक समूह-वार प्रमुख शिकायत प्रकारों का अलग-अलग ब्योरा : 2018-19**

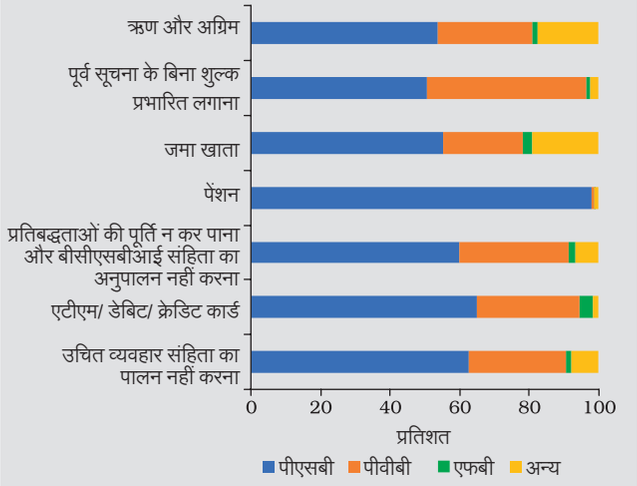


**टिप्पणी :** डेटा जुलाई-जून से संबंधित है।
**स्रोत :** बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न कार्यालय।

**चार्ट IV.28: सबसे गरीब 40 प्रतिशत देशों में वित्तीय समावेशन**

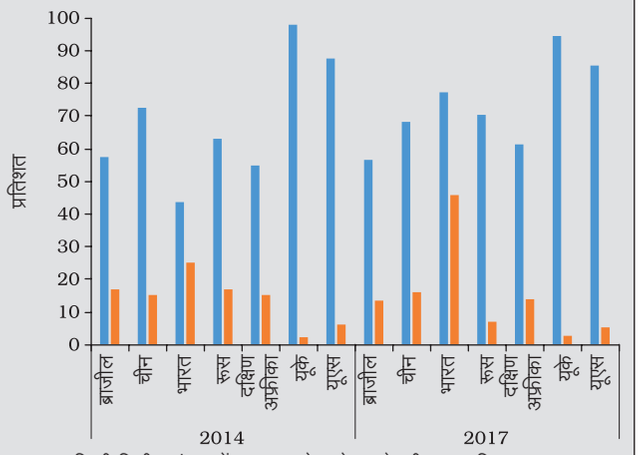


**स्रोत :** ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक।

IV.61 एससीबी की वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) के अंतर्गत, 2017-18 में गिरावट के मुकाबले 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस कॉरेस्पान्डेंट (बीसी) मॉडल के माध्यम से ब्रिक-एंड-मार्टर शाखाओं और बैंकिंग आउटलेट की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बैंकिंग आउटलेट में बीसी का हिस्सा बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया; और बीसी के माध्यम से जोड़े गए शहरी इलाकों की संख्या में तीन गुना से ज्यादा वृद्धि हुई। साथ ही, बीसी के माध्यम से खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) की संख्या में त्वरित वृद्धि और बीसी प्रेरित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित लेनदेनों में अच्छे विस्तार से उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत मिलता है। आगे, क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए रिज़र्व बैंक की 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' जैसी पहल से इसे और गति मिलने की संभावना है (सारणी IV.19)।

### *11.1 प्रधान मंत्री जन धन योजना*

IV.62 जैसा पूर्व में बताया गया है, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने देश में वित्तीय समावेशन के लिए काफी योगदान किया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

**सारणी IV.19: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत प्रगति, सभी एससीबी (आरआरबी सहित)**

| क्र. सं. | विवरण | मार्च-10 को समाप्त वर्ष | मार्च-18 को समाप्त वर्ष | मार्च-19 को समाप्त वर्ष # | प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (2017-18) | प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (2018-19) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं | 33,378 | 50,805 | 52,489 | -0.1 | 3.3 |
| 2 | ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग आउटलेट – शाखारहित मोड | 34,316 | 5,18,742 | 5,44,666 | -5.2 | 5 |
| 3 | ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं | 67,694 | 5,69,547 | 5,97,155 | -4.8 | 4.8 |
| 4 | बीसी के माध्यम से शामिल किए गए शहरी इलाके ($) | 447 | 1,42,959 | 4,47,170 | 39 | 212.8 |
| 5 | बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में) | 600 | 2,474 | 2,547 | -2.6 | 3 |
| 6 | बीएसबीडीए – शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में) | 4,400 | 73,085 | 87,765 | 5.8 | 20.1 |
| 7 | बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में) | 130 | 2,888 | 3,195 | 3.1 | 10.6 |
| 8 | बीएसबीडीए – बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में) | 1,100 | 39,056 | 53,195 | 37 | 36.2 |
| 9 | बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में) | 735 | 5,362 | 5,742 | 0.6 | 7.1 |
| 10 | बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में) | 5,500 | 1,12,141 | 1,40,960 | 14.8 | 25.7 |
| 11 | बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ उठाना (राशि लाख में) | 2 | 58 | 59 | -35.6 | 1.7 |
| 12 | बीएसबीडीए में ओडी सुविधा का लाभ उठाना (राशि करोड़ में) | 10 | 408 | 443 | -76 | 8.6 |
| 13 | केसीसी – कुल (संख्या लाख में) | 240 | 464 | 491 | 0.9 | 5.8 |
| 14 | केसीसी – कुल (राशि करोड़ में) | 1,24,000 | 6,09,587 | 6,68,044 | 5 | 9.6 |
| 15 | जीसीसी – कुल (संख्या लाख में) | 10 | 118 | 120 | -9.2 | 1.7 |
| 16 | जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में) | 3,500 | 1,49,792 | 1,74,514 | -29.2 | 16.5 |
| 17 | आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन संख्या (लाख में) | 270 | 14,886 | 21,019 | 28.4 | 41.2 |
| 18 | आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन संख्या (करोड़ में) | 700 | 4,29,238 | 5,91,347 | 61.9 | 37.8 |

**टिप्पणी :** क्रम संख्या 1 से 16 में उसकी स्थापना से संचयी डेटा शामिल है। क्रम संख्या 17-18 में संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से डेटा शामिल हैं।
$ : 4 ,47,170 केंद्रों में से, यह रिपोर्ट किया गया है कि 3,88,868 केंद्रों ने सीमित सेवाएं दी हैं जैसे विप्रेषण या ऋण के संसाधन जुटाना इत्यादि।
**स्रोत :** बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां।

**चार्ट IV.29: पीएमजेडीवाई खाते : वितरण और औसत जमाशेष**

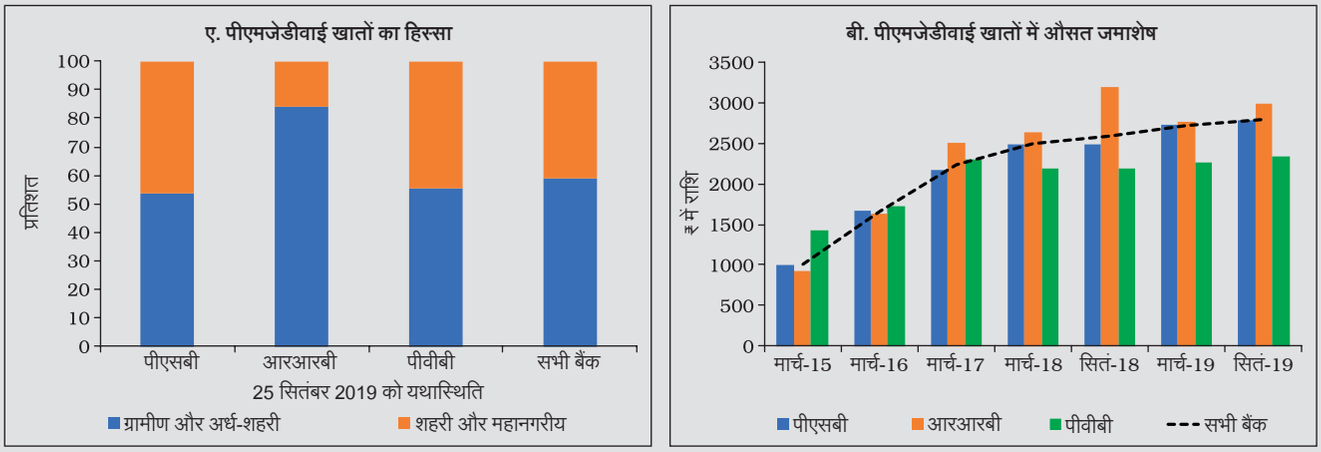


**स्रोत :** प्रधान मंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

के अंतर्गत खोले गए खातों की कुल संख्या बढ़कर 37.1 करोड़ हो गई, जिसकी जमाराशि 25 सितंबर 2019 को ₹1.02 लाख करोड़ थी। इन खातों में से, 59 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिचालनरत हैं (चार्ट IV.29 ए)। सितंबर 2018 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में 70 प्रतिशत से अधिक नए प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोले गए। तथापि, गत दो वर्षों में इन खातों के उपयोग में ठहराव आ गया है जो औसत शेष में गिरावट से स्पष्ट होती है (चार्ट IV.29 बी)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) -दोनों की बदौलत, जारी रूपे कार्ड की संख्या में सतत वृद्धि हुई है।

### *11.2 नई बैंक शाखाएं*

IV.63 नई बैंक शाखाएं खोलने की गति, जो लगातार गत तीन वर्षों में धीमी हुई थी। वर्ष 2018-19 में तेजी हुई। टिअर-1 और टिअर-2 केंद्रों में 50 प्रतिशत से अधिक नई शाखाएं खोली गईं; तो दूसरी तरफ, टिअर-5 और टिअर-6 केंद्रों का हिस्सा घटा (सारणी IV.20)। यह उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शाखा खोलने के संबंध में बैंकों की योजना के अनुरूप है जहां वे व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य हैं, जबकि अन्य केंद्रों में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए बीसी का सहारा लिया जाता है। मई 2017 में लागू शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाने को लेकर संशोधित दिशानिर्देशों ने बैंकों को यह स्वायत्तता दी है कि वे अपनी कोराबारी कार्यनीति का निर्णय करे जिससे वित्तीय समावेशन में सुविधा हो सके।

**सारणी IV.20: एससीबी द्वारा खोली गई नई बैंक शाखाओं का टिअर-वार अलग-अलग ब्योरा**

| केन्द्र | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|
| टिअर 1 | 3,247 | 2,336 | 1,581 | 2,114 |
| | (35.7) | (43.6) | (40.1) | (46.7) |
| टिअर 2 | 694 | 363 | 336 | 515 |
| | (7.6) | (6.8) | (8.5) | (11.3) |
| टिअर 3 | 1,192 | 639 | 567 | 700 |
| | (13.1) | (11.9) | (14.4) | (15.4) |
| टिअर 4 | 790 | 429 | 333 | 359 |
| | (8.7) | (8.0) | (8.4) | (7.9) |
| टिअर 5 | 934 | 665 | 455 | 379 |
| | (10.3) | (12.4) | (11.5) | (8.3) |
| टिअर 6 | 2,223 | 925 | 666 | 451 |
| | (24.5) | (17.2) | (16.9) | (10.0) |
| **कुल** | **9,080** | **5,357** | **3,938** | **4,518** |
| | **(100)** | **(100)** | **(100)** | **(100)** |

**टिप्पणियाँ :** 1. केन्द्रों का टिअर-वार वर्गीकरण इस प्रकार है : 'टिअर 1' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 1,00,000 एवं उससे अधिक है, 'टिअर 2' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 50,000 से 99,999 है, 'टिअर 3' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 20,000 से 49,999 है, 'टिअर 4' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 10,000 से 19,999 है, 'टिअर 5' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 5,000 से 9,999 है, तथा 'टिअर 6' में ऐसे केन्द्र शामिल हैं जिसकी आबादी 5000 से कम है।
2. डेटा में 'प्रशासनिक कार्यालयों' को शामिल नहीं किया गया है।
3. जनसंख्या संबंधी सभी आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार है।
4. बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटा के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली का स्वरूप गतिशील है। बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर डेटा का अद्यतन किया जाता है।
5. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े कुल की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में खोली गई शाखाओं के अनुपात को दर्शाते हैं।

**स्रोत :** बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु (पूर्व में मास्टर ऑफ़िस फाइल सिस्टम) डेटाबेस, भा.रि. बैंक।

### *11.3 एटीएम*

IV.64 वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा परिचालित कुल एटीएम (ऑन-साइट और ऑफ-साइट) की संख्या में कमी आई। इसकी भरपाई आंशिक रूप से ह्वाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) में वृद्धि से हुई है (चार्ट IV.30), जिसे डबल्यूएलए की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए 07 मार्च 2019 को लागू किए गए नीतिगत परिवर्तनों से बल मिला, जैसे उनके परिचालक को सीधे रिज़र्व बैंक से नकद प्राप्त करने, गैर-बैंक सेवाएँ ऑफर करने और अपने परिसर में गैर वित्तीय उत्पादों का विज्ञापन देने की अनुमति।

IV.65 निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने जहाँ अपने ऑन-साइट और ऑफ-साइट एटीएम में वृद्धि दर्ज की है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने दोनों में कमी दर्ज की है, जिसमें ऑफ-साइट एटीएम में कमी की दर अपेक्षाकृत अधिक रही[17]। उल्लेखनीय है कि, मार्च-2019 के अंत तक अनुसूचित एसएफ़बी ने एफ़बी की तुलना में अधिक एटीएम परिचालित किए (सारणी IV.21)। एटीएम लेन-देन में संख्या और मूल्य दोनों दृष्टियों से कमी भले आई हो, लोगों के लिए एटीएम आज भी नकद[18] का एक आम माध्यम है।

IV.66 वर्ष 2018-19 में एससीबी के एटीएम के वितरण का स्वरूप अधिकांशत: पिछले वर्ष के जैसा ही रहा। हालांकि, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में, वर्ष 2017-18 में जहाँ एटीएम की संख्या बढ़ी थी, 2018-19 में इसमें कमी आई। इस असमानता का एक कारण यह है कि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और एफ़बी ने शहरी और महानगरीय केंद्रों में अधिक एटीएम रखना जारी रखा है (सारणी IV.22)।

**चार्ट IV.30: एससीबी एटीएम बनाम व्हाइट लेबल एटीएम**

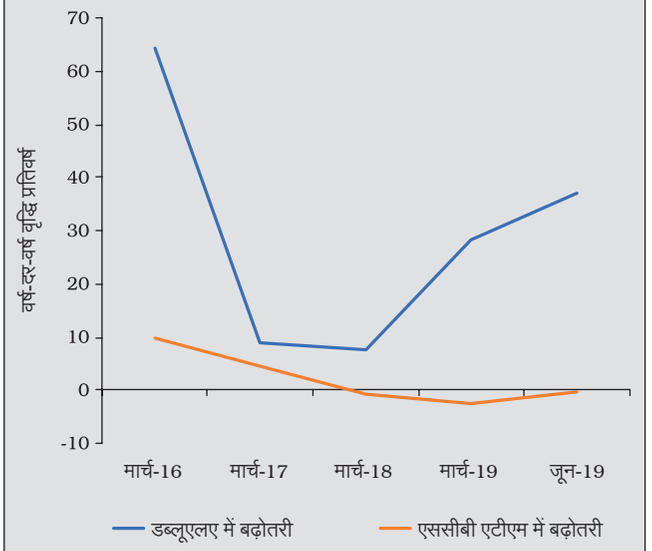


**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

### *11.4 सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम*

IV.67 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा चलाया जा रहा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक

**सारणी IV.21: एटीएम**

| क्र. सं. | बैंक समूह | ऑन-साइट एटीएम | | ऑफ-साइट एटीएम | | एटीएम की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 (3+5) | 2019 (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | पीएसबी | 82,733 | 78,419 | 63,235 | 57,679 | 1,45,968 | 1,36,098 |
| II | पीवीबी | 23,829 | 26,197 | 36,316 | 37,143 | 60,145 | 63,340 |
| III | एफ़बी | 214 | 221 | 725 | 693 | 939 | 914 |
| IV | एसएफ़बी* | - | 1,422 | - | 298 | - | 1,720 |
| V | डब्ल्यूएलए | - | - | - | - | 15,195 | 19,507 |
| VI | सभी एससीबी (I से IV) | 1,06,776 | 1,06,259 | 1,00,276 | 95,813 | **2,07,052** | **2,02,072** |
| VII | कुल (V+VI) | - | - | - | - | **2,22,247** | **2,21,579** |

*: मार्च 2019 के अंत की स्थिति में 8वीं अनुसूचित एसएफ़बी।
**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

[17] इसका आंशिक कारण यह है कि आईडीबीआई बैंक एक निजी बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। आईडीबीआई बैंक के लिए समायोजित किए जाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कोई बदलाव नहीं हुआ और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की ऑफ-साइट एटीएम और कुल एटीएम की संख्या में कमी हुई।

[18] 2018-19 में, एटीएम में होने वाले लेन-देन का मूल्य पीओएस के 2.8 गुना है।

**सारणी IV.22: विभिन्न केंद्रों पर एससीबी के एटीएम की संख्या**

(मार्च-2019 के अंत में)

| बैंक समूह | ग्रामीण | अर्द्ध शहरी | शहरी | महानगर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 27,683 | 40,183 | 38,498 | 29,734 | 1,36,098 |
| | (20.3) | (29.5) | (28.3) | (21.8) | (100.0) |
| निजी क्षेत्र के बैंक | 5,339 | 15,388 | 16,683 | 25930 | 63,340 |
| | (8.4) | (24.3) | (26.3) | (40.9) | (100.0) |
| विदेशी बैंक | 21 | 18 | 166 | 709 | 914 |
| | (2.3) | (2.0) | (18.2) | (77.6) | (100.0) |
| लघु वित्त बैंक* | 372 | 460 | 482 | 406 | 1,720 |
| | (21.6) | (26.7) | (28.0) | (23.6) | (100.0) |
| **कुल** | **33,415** | **56,049** | **55,829** | **56,779** | **2,02,072** |
| | **(16.5)** | **(27.7)** | **(27.6)** | **(28.1)** | **(100.0)** |
| **पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी** | **-3.1** | **-1.4** | **-2.4** | **-2.7** | **-2.3** |

**नोट :** 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के साझा प्रतिशत को दर्शाते हैं।
2. *: मार्च 2019 के अंत की स्थिति में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध एसएफ़बी।
**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

लिंकेज कार्यक्रम (एसबीएलपी) विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त अभियान बन गया है जिसके माध्यम से गरीबों का सुनियोजित समूह बनाकर व औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जोड़ कर उन्हें ऋण सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। बैंकों के पास एसएचजी के अतिदेय ऋण उनके नजदीकी वैकल्पिक मॉडल अर्थात, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफ़आई) से लगभग 5 गुना अधिक है। इसमें से पहले वाले का एनपीए अनुपात पिछले वर्ष[19] की 6.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट सारणी IV.13)।

### *11.5 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)को ऋण*

IV.68 2017-18 की कमजोर परिस्थितियों के बाद, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा किए गए आक्रामक ऋण विस्तार के कारण 2018-19 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की ऋण वृद्धि अधिक गतिमान हुई। एमएसएमई को कुल ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की हिस्सेदारी 2017-18 की 65 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 58 प्रतिशत हो गई। हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के खातों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के खातों की संख्या से करीब-करीब दोगुनी थी, निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा दी गई ऋणों की राशि का औसत ₹2.75 लाख था - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के ₹7.79 लाख से बहुत कम - जो दोनों के कारोबार के स्तर का सूचक है (सारणी IV.23)।

### *11.6 क्षेत्रीय बैंकिंग की पहुँच*

IV.69 जो क्षेत्र अभी तक बैंक रहित हैं, वहाँ वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के संगठित प्रयासों के बाद भी भारत में देश के भीतर

**सारणी IV.23: एसबीसी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में हुआ ऋण प्रवाह**

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि ₹ करोड़ में)

| | | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** | खातों की संख्या | 106.82 | 111.97 | 111.01 | 112.97 |
| | | (24.1) | (4.8) | (-0.9) | (1.8) |
| | बकाया राशि | 8,20,548 | 8,28,933 | 8,64,598 | 8,80,033 |
| | | (-3.8) | (1.0) | (4.3) | (1.8) |
| **निजी क्षेत्र के बैंक** | खातों की संख्या | 96.42 | 119.59 | 148.33 | 205.31 |
| | | (92.0) | (24.0) | (24.0) | (38.4) |
| | बकाया राशि | 3,59,085 | 4,30,963 | 4,10,760 | 5,63,678 |
| | | (27.5) | (20.0) | (-4.7) | (37.2) |
| **विदेशी बैंक** | खातों की संख्या | 1.86 | 2.07 | 2.20 | 2.40 |
| | | (-34.4) | (11.1) | (6.2) | (9.3) |
| | बकाया राशि | 36,374 | 36,503 | 48,881 | 66,939 |
| | | (-1.1) | (0.4) | (33.9) | (36.9) |
| **सभी अनुसिचित वाणिज्यिक बैंक** | खातों की संख्या | 205.10 | 233.63 | 261.54 | 320.68 |
| | | (47.4) | (13.9) | (12.0) | (22.6) |
| | बकाया राशि | 12,16,007 | 12,96,399 | 13,24,239 | 15,10,651 |
| | | (3.8) | (6.6) | (2.2) | (14.1) |

**नोट :** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर दर्शाते हैं।
**स्रोत :** वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, भा.रि. बैंक।

[19] नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19।

बैंकिंग की पहुँच असमान बनी हुई है तथा पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में केंद्रित है (चार्ट IV.31)। साथ ही, देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा सेवा प्राप्त औसत जनसंख्या काफ़ी अधिक है चार्ट IV.32)। प्रति व्यक्ति आय के अपेक्षाकृत कम स्तर एवं संरचनागत सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के साथ में औद्योगिक गतिविधि जैसे कुछ कारण हैं जो देश में क्षेत्रीय स्तर पर बैंकिंग की अपर्याप्त पहुंच से जुड़े हैं। हालांकि, अनुभवजन्य प्रमाण बताते हैं कि जो क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे, वे अब आगे आ रहे हैं (बॉक्स IV.2)।

## 12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

IV.70 छोटे किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और अन्य ग्रामीण निर्धनों को ऋण और संबन्धित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की स्थापना की गई थी। वर्ष 2019-20 के यूनियन बजट में ₹235 करोड़ आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए आबंटित किए गए थे जिससे कि वे विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु सक्षम हो पाए और वित्तीय समावेश के लिए अधिक संसाधन जुटाने के लायक बनें। वर्ष 2005 में 196 की तुलना में 1 अप्रैल 2019 में आरआरबी की संख्या घटकर 45 रह गई है। आगे उन्हें 38 आरआरबी में समेकित करने का लक्ष्य है जिससे कि ऊपरी खर्च में कमी आए, पूंजी में वृद्धि हो और उनके परिचालन का क्षेत्र का विस्तार हो।

### *12.1 तुलन-पत्र विश्लेषण*

IV.71 देयता पक्ष में जमाराशि और शेयर पूंजी और आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान आरआरबी के समेकित तुलन-पत्र का विस्तार हुआ। इसके अलावा, जमा राशियां, जो कि विमुद्रीकरण-जन्य उच्च आधार स्तर से पिछले वर्ष तेजी से कम हुई थी- फिर से बढ़ गई। उधार में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण प्रायोजक बैंकों से निधियों में कटौती रही, यद्यपि अन्य स्रोतों से उधार में तेज वृद्धि देखी गई (सारणी IV.24)।

IV.72 अधिदेश के अनुरूप, आरआरबी के उधार का जोर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत,

**चार्ट IV.31: जमाराशि, ऋण और शाखाओं में क्षेत्रीय हिस्सेदारी**
जून 2019 के अंत में

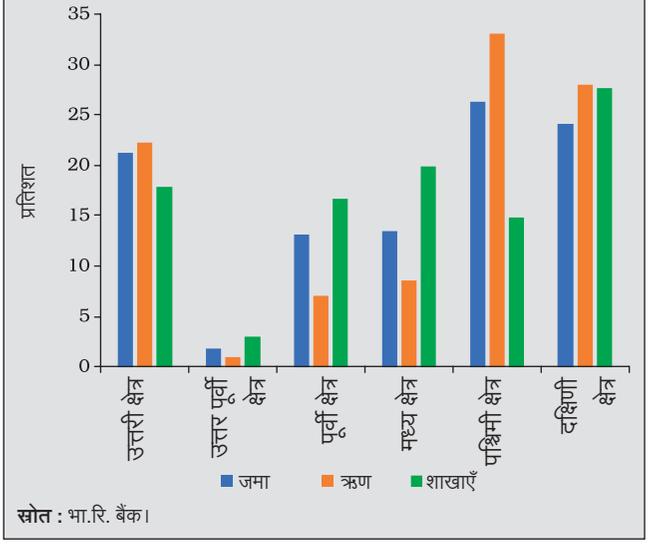


**स्रोत :** भा.रि. बैंक।

**चार्ट IV.32: प्रति शाखा जनसंख्या**
जून 2019 के अंत में

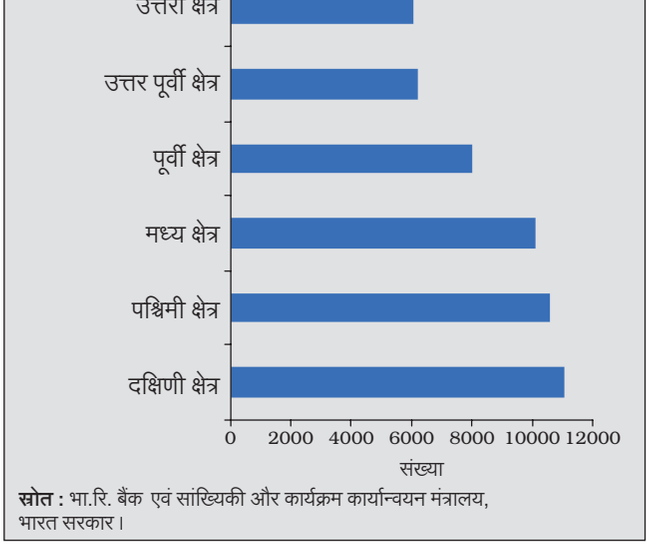


**स्रोत :** भा.रि. बैंक एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## बॉक्स IV.2: क्या भारत में क्षेत्रगत बैंकिंग की पहुँच का अभिसरण हो रहा है ?

2005-16 की अवधि के दौरान, बैंकिंग पहुँच की अंतर-क्षेत्रीय असामनता घटी है। यद्यपि जमा एवं ऋण खाते दोनों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में आधार कम रहा, पर तेजी से अन्य क्षेत्रों की बराबरी कर रहा है (चार्ट 1ए और 1बी)।

एक स्थायी प्रभाव पैनल मॉडल जिसमें क्षेत्रों को पैनल इकाइयों के रूप में और क्षेत्रों के अंदर विभिन्नता गुणांक को आश्रित चर के रूप में में लिया गया है, बैंकिंग पहुँच में अंतर-क्षेत्रीय भिन्नता में कमी का सूचक है (सारणी 1)।

निम्नलिखित प्रारूप के जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मोमेंट्स (जीएमएम) फ्रेमवर्क में 2005 से 2018 की अवधि के लिए 32 राज्यों/सं.क्षे. के वार्षिक डेटा का उपयोग कर प्रतिबंधात्मक (कंडीशनल) β- समाभिरूपता (कन्वर्जेंस) का अनुमान लगाया गया है।

$$\Delta(\ln B_{i,t}) = \alpha + \beta\,(\ln B_{i,t-1}) + \rho\, X_{i,t} + \gamma\, Z_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

जहां बी (B) प्रति '000 जनसंख्या ऋण और जमा खातों की संख्या है, X और Z अनुबंधन चरों (कंडिशनिंग वैरिएबल्स) - प्रतिव्यक्ति आय के अंतराल मूल्य (लैग्ड वैल्यू) (लॉग-ट्रासंफॉर्मेशन के बाद) और प्रति हजार की आबादी पर फ़ैक्ट्रियों की संख्या में आर्थिक लक्षणों में भिन्नता का नियंत्रण करते हैं - का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राज्यों में आर्थिक स्तर की विभिन्नता दर्शाते हैं। ऋणात्मक और महत्त्वपूर्ण β प्रतिबंधात्मक समाभिरूपता (कंडीशनल कन्वर्जेंस) का द्योतक है।

समाभिरूपता दर्शाने वाले दोनों समीकरणों के लिए β औसतन ऋणात्मक और महत्त्वपूर्ण है (सारणी 2)। अध्ययन की प्रारम्भिक अवधि में, अपेक्षाकृत छोटे आधार वाले राज्य आगे बढ़ रहे हैं।

**सारणी 1 : क्षेत्र के भीतर अभिसरण**

आश्रित चर : क्षेत्रीय परिवर्तन गुणांक के भीतर

| | जमा खाता (2005 से 2017) | ऋण खाता (2012-17) |
|---|---|---|
| समय | -2.57*** | -1.98** |
| स्थिर | 5222.9*** | 4039.8** |
| प्रेक्षणों की संख्या | 78 | 36 |
| समायोजित आर$^2$ | 0.92 | 0.97 |

**टिप्पणी :** * :पी < 0.05, ** :पी < 0.01, *** :पी < 0.001.

**सारणी 2 : पूरे भारत में सशर्त β-अभिसरण**

| | **मॉडल 1** (ऋण खाता) | **मॉडल 2** (जमा खाता) |
|---|---|---|
| β | -0.32*** | -0.15*** |
| ρ | 0.19*** | 0.26*** |
| γ | 1.34*** | 0.10^ |
| α | -0.72*** | -1.63*** |
| प्रेक्षणों की संख्या | 310 | 334 |
| एआर (2) (पी-मान) | 0.17 | 0.06 |
| सार्गन (पी-मान) | 0.21 | 0.64 |

**टिप्पणी :** ^ : पी<0.10;* : पी <0.05; **: पी<0.01; *** : पी<0.001.

**स्रोत :** स्टाफ की गणना।

ये परिणाम जनसंख्या की आय के स्तर में वृद्धि और राज्यों में समाभिरुपता बढ़ाने में औद्योगीकरण जैसे प्रानुकूलन (कंडीशनिंग) घटकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है।

**चार्ट 1 : भारत में बैंकिंग की पैठ के केंद्रण का स्कैटर प्लॉट (2005 से 2016)**

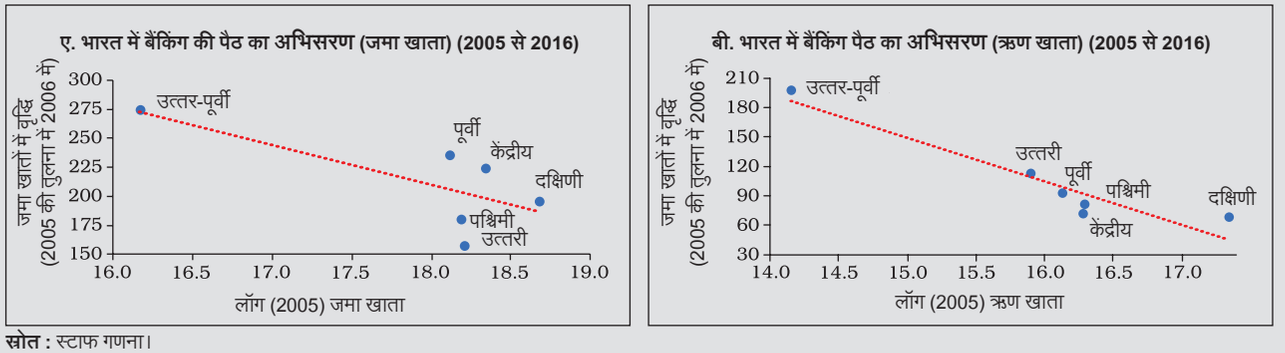


**स्रोत :** स्टाफ गणना।

**संदर्भ**

बैरो, रोबर्ट जे., एंड सला-आई-मार्टिन (1991). "कन्वर्जेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड रीजन्स", ब्रूकिंग पपेर्स ऑन इकनॉमिक एक्टिविटी, 1:1991, पीपी.107-82.

बैरो, रोबर्ट जे., (1999) "इनिक्वैलिटी, ग्रोथ एंड इनवेस्टमेंट," एनबीईआर वर्किंग पपेर्स 7038, (कैंब्रिज, एमए; नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च)।

बॉन्ड, एस., ए. होफ्लर, एंव जोनाथन टैम्पल (2001). "जीएमएम एस्टिमेशन ऑफ एम्पिरिकल ग्रोथ मॉडेल्स," इकनॉमिक पेपर्स 2001-डबल्यू21, इकॉनॉमिक्स ग्रुप, नफ़ील्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटि ऑफ ऑक्सफोर्ड।

डेमिर्जक-कंट, एस्ली एंड डोरोथे सिंगर (2017). "फाइनेंसियल इंक्लूज़न एंड इंक्लूसिव ग्रोथ : अ रिव्यू ऑफ रीसेंट एम्पिरिकल एविडेन्स." वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नं.8040.

**सारणी IV.24: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मद | मार्च के अंत में 2018 | 2019अ | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में 2017-18 | 2018-19अ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शेयर पूंजी | 6,437 | 6,721 | 0.6 | 4.4 |
| 2 | आरक्षित निधियाँ | 25,185 | 26,109 | 9.1 | 3.7 |
| 3 | जमाराशियाँ | 4,00,459 | 4,34,445 | 7.7 | 8.5 |
| 3.1 | चालू | 10,223 | 11,124 | -3.7 | 8.8 |
| 3.2 | बचत | 2,01,038 | 2,24,095 | 6.9 | 11.5 |
| 3.3 | मीयादी | 1,89,198 | 1,99,226 | 9.3 | 5.3 |
| 4 | उधार | 57,647 | 58,890 | 11.6 | 2.2 |
| 4.1 | नाबार्ड से | 45,939 | 46,898 | 13.3 | 2.1 |
| 4.2 | प्रायोजक बैंक | 9,316 | 5,784 | -1.1 | -37.9 |
| 4.3 | अन्य | 2,392 | 6,209 | 41.2 | 159.6 |
| 5 | अन्य देयताएँ | 15,234 | 29,633 | 18.8 | 94.5 |
| | **कुल देयताएँ/आस्तियां** | **5,04,962** | **5,55,798** | **8.3** | **10.1** |
| 6 | उपलब्ध नकदी | 2,789 | 2,913 | 0 | 4.4 |
| 7 | भा.रि. बैंक में उपलब्ध जमाशेष | 15,806 | 17,447 | 5.3 | 10.4 |
| 8 | अन्य बैंकों के जमाशेष | 5,607 | 5,469 | -13.8 | -2.5 |
| 9 | निवेश | 2,22,266 | 2,24,818 | 5.3 | 1.1 |
| 10 | ऋण और अग्रिम (निवल) | 2,37,011 | 2,69,372 | 12.1 | 13.7 |
| 11 | अचल संपत्ति | 1,223 | 1,264 | 9.1 | 3.4 |
| 12 | अन्य आस्तियां # | 20,259 | 34,515 | 12.2 | 70.4 |

**टिप्पणी** : 1. #: इसमें संचित हानि भी शामिल है।
2. अ – अनंतिम
3. संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन होने के कारण कुल जोड़ भिन्न हो सकता है। निरपेक्ष अंकों को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

सबसे बड़ा हिस्सा – 77.1 प्रतिशत- कृषि क्षेत्र का रहा। यद्यपि आरआरबी का तुलन-पत्र एससीबी के तुलन-पत्र का 3.3 प्रतिशत है, उनका कृषि उधार एससीबी के कृषि उधार का 14.8 प्रतिशत है (सारणी IV.25)।

*12.2 वित्तीय निष्पादन*

IV.73 दो वर्ष की लगातार वृद्धि के बाद वर्ष 2018-19 में आरआरबी के परिचालनगत लाभ में कमी आई है। परिचालनगत व्यय, जिसमें वेतन बिल का बड़ा हाथ रहा, में वृद्धि की तुलना में ब्याज से होने वाली आय में वृद्धि अत्यल्प रही। आरआरबी की आस्ति गुणवत्ता 2015-16 से लगातार खराब होती जा रही है, जिससे पूंजी का अपक्षरण हुआ है (सारणी IV.26)।

**सारणी IV.25: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | उद्देश्य/मार्च-समाप्ति | 2018 | 2019P |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **प्राथमिकता (i से v)** | **2,27,941** | **2,55,156** |
| | *कुल बकाया ऋण का प्रतिशत* | 90.4 | 90.9 |
| | i कृषि | 1,73,726 | 1,96,632 |
| | ii सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | 31,549 | 33,435 |
| | iii शिक्षा | 2,801 | 2,656 |
| | vi आवास | 15,477 | 18,304 |
| | v अन्य | 4,389 | 4,130 |
| **II** | **गैर-प्राथमिकता (i से vi)** | **24,278** | **25,670** |
| | *कुल बकाया ऋण का प्रतिशत* | 9.6 | 9.1 |
| | i कृषि | 18.3 | 1.2 |
| | ii सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम | 261 | 306 |
| | iii शिक्षा | 46 | 72 |
| | iv आवास | 2,286 | 2,549 |
| | v व्यक्तिगत ऋण | 6,454 | 6,502 |
| | vi अन्य | 15,213 | 16,239 |
| **कुल (I+II)** | | **2,52,219** | **2,80,826** |

**नोट :** 1. अ : अनंतिम
2. संख्याओं का ₹ करोड़ में पूर्णांकन होने के कारण कुल जोड़ भिन्न हो सकता है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

## 13. स्थानीय क्षेत्र बैंक

IV.74 तीन स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की समेकित आस्तियां 2017-18 के 4.5 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 13 प्रतिशत की दर पर बढ़ी। दूसरी ओर, कुल अग्रिम की तुलना में जमाराशियों में काफ़ी तेज बढ़ोतरी के कारण ऋण-जमाराशि अनुपात पिछले वर्ष के 79 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में घटकर 75 प्रतिशत पर आ गया (सारणी IV.27)।

*वित्तीय निष्पादन*

IV.75 2018-19 में एलएबी की गैर-ब्याज आय में कमी आई है, जिससे 2017-18 की तुलना में समग्र आय की वृद्धि में कमी आई है। हालांकि, व्यय में वृद्धि के कारण लाभप्रदता में कमी आई है (सारणी IV.28)।

## 14. लघु वित्त बैंक

IV.76 जमाराशि प्राप्त करने एवं सेवा-रहित और कम-सेवा-प्राप्त वर्गों यथा छोटे कारोबार, सीमांत किसान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और असंगठित क्षेत्रों को उधार देने जैसी मूलभूत बैंकिंग

**सारणी IV.26: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मद | राशि | | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 | 2018-19अ | 2017-18 | 2018-19अ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ए** | **आय (i + ii)** | **41,819** | **43,180** | **6.6** | **3.3** |
| | i. ब्याज से होने वाली आय | 38,337 | 38,953 | 6.7 | 1.6 |
| | ii. अन्य आय | 3,481 | 4,228 | 6.1 | 21.4 |
| **बी** | **व्यय (i+ii+iii)** | **40,317** | **42,893** | **8.9** | **6.4** |
| | i. व्यय की गई ब्याज राशि | 23,868 | 23,684 | 2.1 | -0.8 |
| | ii. परिचालनगत व्यय | 11,019 | 13,510 | 5.8 | 22.6 |
| | *जिसमें से,* वेतन बिल | 7,044 | 9,457 | 2.9 | 34.2 |
| | iii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ | 5,431 | 5,698 | 68.8 | 4.9 |
| **सी** | **लाभ** | | | | |
| | i. परिचालनगत लाभ | 7,543 | 5,619 | 25 | -25.5 |
| | ii. निवल लाभ | 1,501 | -548 | -31.8 | -136.5 |
| **डी** | **कुल औसत आस्तियां** | **4,76,813** | **5,16,263** | 9.8 | 8.3 |
| **ई** | **वित्तीय अनुपात #** | | | | |
| | i. परिचालनगत लाभ | 1.6 | 1.1 | | |
| | ii. निवल लाभ | 0.3 | -0.1 | | |
| | iii. आय (ए + बी) | 8.8 | 8.4 | | |
| | ए) ब्याज से होने वाली आय | 8.0 | 7.6 | | |
| | बी) अन्य आय | 0.7 | 0.8 | | |
| | i. व्यय (ए+बी+सी) | 8.5 | 8.3 | | |
| | ए) खर्च की गई ब्याज राशि | 5.0 | 4.6 | | |
| | बी) परिचालनगत व्यय | 2.3 | 2.6 | | |
| | *जिसमें से,* वेतन बिल | 1.5 | 1.8 | | |
| | सी) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां | 1.1 | 1.1 | | |
| **एफ़** | **विश्लेषणात्मक अनुपात (%)** | | | | |
| | सकल अनर्जक अस्ति अनुपात | 9.5 | 10.7 | | |
| | सीआरएआर | 12.1 | 11.5 | | |

**टिप्पणियाँ :** 1. अ- अनंतिम
2: # कुल आस्तियों के संबंध में वित्तीय अनुपात औसत प्रतिशत को दर्शाता है।
3. आंकड़ों के ₹ करोड़ में पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ भिन्न हो सकता है। प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹ करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

**स्रोत :** नाबार्ड।

सेवाएँ प्रदान करने के लिए 2016 में लघु वित्त बैंकों की स्थापना की गई थी। मार्च-2019 के अंत तक 10 एसएफ़बी काम कर रहे थे।

**सारणी IV.27: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का प्रोफाइल**

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|
| 1. आस्तियां | 819.5 | 926.4 |
| 2. जमाराशियाँ | 651.1 | 746.9 |
| 3. सकल अग्रिम | 514.1 | 559.7 |

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियाँ, वैश्विक परिचालन, भा.रि. बैंक।

**सारणी IV.28: स्थानीय क्षेत्र बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन**

(मार्च के अंत में)

| | राशि ₹ करोड़ में | | वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत में | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 |
| **1. आय (i+ii)** | **116** | **118** | **9.2** | **1.7** |
| i. ब्याज से होने वाली आय | 90 | 97 | 2.9 | 7.6 |
| ii. अन्य आय | 26 | 21 | 38.8 | -19 |
| **2. व्यय (i+ii+iii)** | **98** | **107** | **4.7** | **8.6** |
| i. व्यय की गई ब्याज राशि | 42 | 45 | -8.2 | 7.3 |
| ii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियां | 9 | 9 | 11.9 | -6.4 |
| iii. परिचालनगत व्यय | 47 | 53 | 18.1 | 12.6 |
| *जिसमें से,* वेतन बिल | 20 | 24 | 11.8 | 22.2 |
| **3. लाभ** | | | | |
| i. परिचालनगत लाभ/हानि | 27 | 20 | 30.9 | -26.3 |
| ii. निवल लाभ/हानि | 18 | 11 | 43.7 | -36.7 |
| **4. निवल ब्याज आय** | **48** | **52** | **15.1** | **7.9** |
| **5. कुल आस्तियां** | **820** | **926** | **4.5** | **13** |
| **6. वित्तीय अनुपात @** | | | | |
| i. परिचालनगत लाभ | 3.3 | 2.1 | | |
| ii. निवल लाभ | 2.2 | 1.2 | | |
| iii. आय | 14.1 | 12.7 | | |
| iv. ब्याज से होने वाली आय | 11 | 10.4 | | |
| v. अन्य आय | 3.2 | 2.3 | | |
| vi. व्यय | 12 | 11.5 | | |
| vii. खर्च की गई ब्याज राशि | 5.1 | 4.9 | | |
| viii. परिचालनगत व्यय | 5.7 | 5.7 | | |
| ix. वेतन बिल | 2.4 | 2.6 | | |
| x. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ | 1.1 | 0.9 | | |
| xi. निवल ब्याज आय | 5.8 | 5.6 | | |

**टिप्पणी :** वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय अनुपात की गणना केवल संबन्धित वर्ष की आस्तियों के आधार पर की गई है।
@ : पिछले दो वर्षों की औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अनुपात
'वेतन बिल' कर्मचारियों को किए गए भुगतान और उनके लिए किए गए प्रावधानों के रूप में लिए गए हैं।
**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियाँ, वैश्विक परिचालन, भा.रि. बैंक।

### *14.1 तुलनपत्र*

IV.77 2018-19 में एसएफ़बी के समेकित तुलनपत्र का विस्तार हुआ। उनका जमाराशि आधार दुगुने से भी अधिक हो गया और उन्होंने बैंक उधार पर पहले से चली आ रही अपनी निर्भरता घटाई। ऋण और अग्रिम में वर्ष के दौरान जहाँ तेजी से वृद्धि हुई और कुल आस्तियों में ये 70.6 प्रतिशत रहे, निवेश में भी अच्छी वृद्धि दर्ज हुई (सारणी IV.29)।

### *14.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना*

IV.78 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम में एसएफ़बी की हिस्सेदारी में 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई।

**सारणी IV.29: लघु वित्त बैंकों का समेकित तुलन-पत्र**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मद | 2018 | 2019 | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | शेयर पूंजी | 4,178.8 | 4,759.6 | 13.9 |
| 2. | आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष | 5,502.6 | 6,967.1 | 26.6 |
| 3. | टीअर II बॉण्ड टीअर II कर्ज | 1,604.0 | 2,109.0 | 31.5 |
| 4. | जमाराशियाँ | 26,470.7 | 55,686.3 | 110.4 |
| | 4.1 चालू मांग जमाराशियाँ | 1,014.3 | 2,155.0 | 112.5 |
| | 4.2 बचत | 4,528.7 | 7,669.1 | 69.3 |
| | 4.3 मीयादी | 20,927.6 | 45,862.1 | 119.1 |
| 5. | उधारियाँ (टीअर II बॉण्ड सहित) | 30,884.6 | 27,838.9 | -9.9 |
| | 5.1 बैंक | 7,723.3 | 3,466.3 | -55.1 |
| | 5.2 अन्य | 23,161.2 | 24,372.4 | 5.2 |
| 6. | अन्य देयताएँ एवं प्रावधान | 2,914.9 | 3,672.5 | 26 |
| | **कुल देयताएँ/आस्तियां** | **69,952.5** | **98,924.0** | **41.4** |
| 7. | उपलब्ध नकद राशि | 320.4 | 461.3 | 44 |
| 8. | भा.रि.बैं. में धारित जमाराशियाँ | 1,859.2 | 3,162.1 | 70.1 |
| 9. | अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशेष | 4,917.4 | 4,601.8 | -6.4 |
| 10 | निवेश | 13,154.1 | 17,287.0 | 31.4 |
| 11 | ऋण एवं अग्रिम | 46,754.7 | 69,856.8 | 49.4 |
| 12 | स्थायी आस्तियां | 1,523.7 | 1,642.7 | 7.8 |
| 13 | अन्य आस्तियां | 1,427.1 | 1,913.3 | 34.1 |

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियाँ, (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

उनका ध्यान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा इसके बाद कृषि पर केंद्रित रहा (सारणी IV.30)।

### *14.3 वित्तीय निष्पादन*

IV.79 2018-19 के दौरान, एसएफ़बी की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे कि प्रावधानों और आकस्मिक

**सारणी IV. 30: लघु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान किया गया उद्देश्य-वार बकाया अग्रिम**

(कुल अग्रिम में हिस्सेदारी)

| क्र. सं. | उद्देश्य | 31-मार्च-18 | 31-मार्च-19 |
|---|---|---|---|
| **I** | **प्राथमिकता (i से v)** | **76.7** | **74.6** |
| | *कुल बकाया ऋणों का प्रतिशत* | | |
| | i. कृषि एवं सहयोगी गतिविधियां | 20.1 | 23.7 |
| | ii. सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम | 31.0 | 36.7 |
| | iii. शिक्षा | 0.0 | 0.0 |
| | iv. आवास | 2.1 | 2.7 |
| | v. अन्य | 23.4 | 11.5 |
| **II** | **गैर-प्राथमिकता (i से vi)** | 23.3 | 25.4 |
| **कुल (I+II)** | | **100** | **100** |

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

**सारणी IV.31: लघु वित्त बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | मद | 2017-18 | 2018-19 | वर्ष दर वर्ष वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ए** | **आय (i + ii)** | **9450.4** | **13239.0** | **40.1** |
| | i. ब्याज से होने वाली आय | 8415.6 | 11818.8 | 40.4 |
| | ii. अन्य आय | 1034.8 | 1420.2 | 37.2 |
| **बी** | **व्यय (i+ii+iii)** | **11566.2** | **13630.6** | **17.8** |
| | i. खर्च की गई ब्याज की राशि | 4308.0 | 5710.3 | 32.5 |
| | ii. परिचालनगत व्यय | 4712.0 | 5728.4 | 21.6 |
| | *जिसमें से* स्टाफ पर व्यय | 2409.2 | 2961.1 | 22.9 |
| | iii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ | 2546.1 | 2191.9 | -13.9 |
| **सी** | **लाभ** | **-2021.2** | **-391.6** | |
| | i. परिचालनगत लाभ (आईबीपीटी) | 393.8 | 1800.3 | 357.2 |
| | ii. निवल लाभ (पीएटी) | -2250.3 | -932.3 | |
| **डी** | **कुल आस्तियां** | **69952.5** | **98923.7** | **41.4** |
| **ई** | **वित्तीय अनुपात #** | | | |
| | i. परिचालनगत लाभ | 0.6 | 1.8 | |
| | ii. निवल लाभ | -3.2 | -0.9 | |
| | iii. आय (ए + बी) | 13.5 | 13.4 | |
| | (ए) ब्याज से होने वाली आय | 12.0 | 12.0 | |
| | (बी) अन्य आय | 1.5 | 1.4 | |
| | iv. व्यय (ए+बी+सी) | 16.5 | 13.8 | |
| | (ए) खर्च की गई ब्याज की राशि | 6.2 | 5.8 | |
| | (बी) परिचालनगत व्यय | 6.7 | 5.8 | |
| | *जिसमें से* स्टाफ पर किए गए व्यय | 3.4 | 3.0 | |
| | (सी) प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ | 3.6 | 2.2 | |
| **एफ़** | **विश्लेषणात्मक अनुपात (%)** | | | |
| | सकल अनर्जक अस्ति अनुपात | 8.7 | 2.4 | |
| | सीआरएआर | 22.9 | 21.5 | |
| | कोर सीआरएआर | 19.5 | 18.5 | |

**टिप्पणी** : #कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में
**स्रोत :** ऑफ साइट विवरणियाँ (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

निधियों में कमी आई जबकि उनका सीआरएआर स्थिर रहा। कुल आय में भी वृद्धि हुई, तथापि, एसएफबी के संयुक्त वित्त में, एक एसएफ़बी को हुई असाधारण रूप से अधिक हानि ने दूसरे एसएफ़बी को मिलाकर हुए निवल लाभ का सफाया कर दिया (सारणी IV.31)।

## 15. भुगतान बैंक

IV.80 लघु कारोबार और अल्प-आय वाली परिवार इकाइयों (हाउसहोल्ड्स) के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं के संबंध में गठित समिति (अध्यक्ष : श्री नचिकेत मोर) की राय पर मोबाइल टेलिफोनी के माध्यम से तकनीक की सेवाओं का उपयोग कर वित्तीय समावेश को बेहतर करने के उद्देश्य से भुगतान बैंकों

(पीबी) की स्थापना की गई थी। पीबी उधार देने का कार्य नहीं कर सकते और कार्यात्मक रूप में उनका प्रारूप प्रीपेड इन्सट्रूमेंट (पीपीआई) प्रदाताओं जैसा है जिन्हें अनुमति है कि वे ग्राहकों से नकद भुगतान प्राप्त करें, डिजिटल वैलेट में उसे स्टोर करें और माल व सेवाओं के लिए ग्राहकों को इस वैलेट से भुगतान करने दें। इस प्रकार, पीबी के काम-काज में ऋण एवं बाज़ार जोखिम सीमित हैं, हालांकि उन्हें परिचालनगत एवं चलनिधि जोखिम हैं। प्रारम्भ से अब तक पीबी का क्रमिक विकास दर्शाता है कि उन्हें संतुलन बिंदु अथवा लाभप्रदता पर पहुँचने योग्य इष्टतम स्तर अभी प्राप्त करना बाकी है।

### *15.1 तुलन-पत्र*

IV.81 मार्च 2018 के पाँच की तुलना में मार्च 2019 के अंत में भारत में कुल सात पीबी परिचालन में थे। 2018-19 में पीबी के समेकित तुलन-पत्र का विस्तार हुआ क्योंकि उनकी जमाराशियां वर्ष के दौरान दुगुने से भी अधिक हो गईं। इसी अवधि में कुल देयताओं में जमाराशियों का हिस्सा 9 प्रतिशत से बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गया जबकि प्रति ग्राहक वे केवल 1लाख रुपये तक की ही जमाराशि स्वीकार कर सकते हैं। कुल पूंजी एवं आरक्षित निधियों में जहाँ मामूली वृद्धि दर्ज हुई है, मार्च-2019 के अंत में अन्य देयताएं (जैसे पीपीआई में खर्च न किए गए शेष) कुल देयताओं का 61.3 प्रतिशत रही (सारणी IV.32)।

IV.82 पीबी के आस्तियों की संरचना में वह विनियामक ढांचा दिखा जिसके तहत वे काम करते हैं; उन्हें एसएलआर बनाए रखने के लिए मांग जमा शेष राशि (डीडीबी) के 75 प्रतिशत का न्यूनतम निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना होगा और एससीबी के पास अधिकतम 25 प्रतिशत रखना होगा। इसके अलावा, जारी की गई पीपीआई के तहत बकाया शेष को एसएलआर-पात्र सरकारी प्रतिभूतियों और बैंक जमाराशियों में ऐसे लचीलेपन के साथ रखा जाए कि वे समग्र बाह्य देयताओं पर सीआरआर और एसएलआर की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत की तुलना में निवेश की हिस्सेदारी घटकर 43.9 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.32)।

**सारणी IV.32: भुगतान बैंकों का समेकित तुलन-पत्र**

(राशि ₹ करोड़ में)

| | मद | मार्च-18 | मार्च-19 |
|---|---|---|---|
| 1. | कुल पूंजी एवं आरक्षित निधियाँ | 1,849 | 1,868 |
| 2. | जमाराशियाँ | 438 | 883 |
| 3. | अन्य देयताएँ एवं प्रावधान | 2,608 | 4,363 |
| | **कुल देयताएँ/आस्तियां** | 4,895 | 7,114 |
| 1. | भा.रि. बैंक में उपलब्ध नकद एवं जमाशेष | 377 | 729 |
| 2. | बैंकों और मुद्रा बाज़ार में जमा शेष राशि | 1,249 | 1,376 |
| 3. | निवेश | 2,449 | 3,126 |
| 4. | स्थायी आस्तियां | 235 | 547 |
| 5. | अन्य आस्तियां | 586 | 1,335 |

**टिप्पणी :** मार्च-2018 और मार्च-2019 के अंत का डाटा क्रमशः 5 और 7 पीबी से संबन्धित हैं, इस प्रकार इन दो वर्षों का डाटा तुलन योग्य नहीं हैं।

**स्रोत :** ऑफ साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

### *15.2 वित्तीय निष्पादन*

IV.83 निवल ब्याज से आय और गैर-ब्याज आय में सुधार के बावजूद, परिचालनगत व्यय में वृद्धि के कारण 2018-19 में पीबी को समग्रत: ऋणात्मक लाभ हाथ लगा। सीमित परिचालनगत गुंजाइश और आधारभूत संरचना तैयार करने में लगने वाली विशाल प्रारंभिक लागत के कारण ग्राहक आधार बढ़ाने की कोशिश में लगे पीबी के लिए संतुलन बिंदु तक आने में थोड़ा और समय लगेगा (सारणी IV.33)।

IV.84 निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और कार्यदक्षता (आय की तुलना में लागत) में वर्ष के दौरान सुधार हुआ रहा

**सारणी IV.33: भुगतान बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मद | मार्च-18 | मार्च-19 |
|---|---|---|---|
| ए | आय (i+ii) | | |
| | i. ब्याज से होने वाली आय | 175.9 | 255.2 |
| | ii. अन्य आय | 1,003.6 | 2,093.7 |
| बी | व्यय | | |
| | i. खर्च की गई ब्याज की राशि | 26.2 | 35.8 |
| | ii. परिचालनगत व्यय | 1,677.1 | 2,925.9 |
| | iii. प्रावधान एवं आकस्मिक निधियाँ | -7.4 | 14.0 |
| | *जिसमें से* जोखिम प्रावधान | -8.4 | 0.9 |
| | कर प्रावधान | 1.0 | 13.0 |
| सी | निवल ब्याज आय | 151.5 | 219.4 |
| डी | लाभ | | |
| | i. परिचालनगत लाभ (ईबीपीटी) | -523.0 | -612.8 |
| | ii. निवल लाभ/हानि | -515.6 | -626.8 |

**टिप्पणी :** मार्च-2018 और मार्च-2019 के अंत के आंकड़े क्रमशः 5 और 7 पीबी से संबन्धित हैं, इस प्रकार इन दो वर्षों का डाटा तुलन योग्य नहीं हैं।

**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

**सारणी IV.34: भुगतान बैंकों के चुनिंदा वित्तीय अनुपात**

| | मद | मार्च-18 | मार्च-19 |
|---|---|---|---|
| 1. | आस्तियों पर प्रतिलाभ | -10.6 | -8.9 |
| 2. | इक्विटी पर प्रतिलाभ | -27.9 | -34.0 |
| 3. | कुल आस्तियों की तुलना में निवेश | 50.0 | 44.0 |
| 4. | निवल ब्याज मार्जिन | 4.5 | 5.2 |
| 5. | दक्षता (लागत-आय अनुपात) | 142.2 | 124.6 |
| 6. | कार्यशील पूंजी पर परिचालनगत लाभ | -10.7 | -8.6 |
| 7. | लाभ मार्जिन | -43.8 | -27.0 |

**टिप्पणी :** मार्च-2018 और मार्च-2019 के अंत के आंकड़े क्रमशः 5 और 7 पीबी से संबन्धित हैं, इस प्रकार इन दो वर्षों के आंकड़े तुलन योग्य नहीं हैं।
**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

जबकि आरओए, आरओई में दर्ज हानि और लाभ मार्जिन जारी रहे (सारणी IV.34)।

*15.3 आवक और जावक विप्रेषण*

IV.85 वर्ष 2018-19 में, आवक और जावक विप्रेषण के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चैनल के रूप में यूपीआई द्वारा किए गए लेन-देन मूल्य और मात्रा -दोनों में ई-वालेट से आगे निकल गए हैं (सारणी IV.35)।

**सारणी IV.35 : 2018-19 के दौरान भुगतान बैंकों के माध्यम से विप्रेषण**

(संख्या यूनिट में, राशि ₹ करोड़ में

| माध्यम | आवक विप्रेषण | | जावक विप्रेषण | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1. एनईएफ़टी | 12,67,081 (0.2) | 4,722 (5.3) | 24,28,320 (0.3) | 10,711 (9.7) |
| i) बिल भुगतान | 1,81,542 - | 2,956 (3.3) | 9,88,431 (0.1) | 7,174 (6.5) |
| ii) बिल भुगतान को छोड़कर अन्य | 10,85,539 (0.2) | 1,766 (2) | 14,39,889 (0.2) | 3,537 (3.2) |
| 2. आरटीजीएस | 18,341 - | 11,184 (12.5) | 6,390 - | 7,015 (6.3) |
| 3. आईएमपीएस | 4,22,78,372 (6.4) | 6,705 (7.5) | 6,18,69,631 (8.7) | 18,953 (17.1) |
| 4. यूपीआई | 49,11,05,418 (74.3) | 56,543 (63.1) | 49,40,90,598 (69.7) | 57,219 (51.8) |
| 5. ई-वॉलेट | 11,00,94,745 (16.7) | 5,659 (6.3) | 13,20,65,753 (18.6) | 11,562 (10.5) |
| 6. माइक्रो ईटीएम (पीओएस) | 43,87,591 (0.7) | 1,698 (1.9) | 83,303 - | 26 - |
| 7. एटीएम | - - | - - | 5,07,495 (0.1) | 153 (0.1) |
| 8. अन्य | 1,17,57,286 (1.8) | 3,142 (3.5) | 1,81,92,884 (2.6) | 4,911 (4.4) |
| कुल | 66,09,08,834 | 89,653 | 70,92,44,374 | 1,10,549 |

**टिप्पणी :** 1. -: शून्य/नगण्य
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल के प्रतिशत रूप हैं।
**स्रोत :** ऑफ-साइट विवरणी (घरेलू परिचालन), भा.रि. बैंक।

## 16. समग्र आकलन

IV.86 अस्ति गुणवत्ता में सुधार, मजबूत होते पूंजी आधार और लाभ अर्जकता की ओर वापसी से बैंकिंग क्षेत्र धीरे-धीरे सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि, इस बिंदु पर, उभरता समष्टि-आर्थिक परिदृश्य, विशेषत: घरेलू आर्थिक गतिविधियों में जारी गति-ह्रास, विकट चुनौतियों के रूप में सामने है जबकि व्यापक जोखिम विमुखता ने ऋण मांग को कमजोर बना दिया है और कॉरपोरेशंस अपने दबावग्रस्त तुलनपत्रों का कर्ज भार दूर कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 में सुधार के बावजूद, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का पुराना अंबार बड़ा बना हुआ है। आगे, वसूलियों के जरिये एनपीए में कमी सुस्त अर्थव्यवस्था के बेहतर होने पर टिकी है।

IV.87 बैंकों द्वारा उधार देने का रुझान तुलनात्मक रूप से कम दबाव वाले खुदरा क्षेत्र की ओर हुआ है किंतु निजी उपभोग में आई गिरावट ने वृद्धि की इस रणनीति के प्रभाव को सीमित कर दिया है, क्योंकि वृद्धि मंद होने से खुदरा वर्गों में चूक होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

IV.88 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण का काम अधूरा पड़ा हुआ है। न्यूनतम विनियामकी अपेक्षा को पूरा करने के अलावा, वाणिज्यिक बैंकों के लिए आवश्यक है कि अपना पूंजी आधार बढ़ाएं ताकि भविष्य में तुलन-पत्र के दबाव से बच पाएं। इसके अलावा, पुनरुत्थानशीलता विकसित करने के लिए उन्हें अपनी मूल्यांकन पद्धतियों, ऋण निगरानी और जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों में सुधार लाना होगा।

IV.89 पिछले कुछ वर्षों में, जोखिम-विमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा रिक्त किए गए स्थान निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने ले लिए हैं; तथापि हाल में, पीवीबी के कॉरपोरेट अभिशासन में दरारें दिखाई देने लगी हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के तुलन-पत्रों की सुदृढ़ता अभी लौटी नहीं है।

IV.90 बैंकों द्वारा एनबीएफसी को दिए जाने वाले उधारों में मजबूती रही, जिससे इस क्षेत्र में चलनिधि दबाव को कम करने की नीतिगत पहल का पता चलता है। फिर भी, जोखिम का उचित मूल्यन आवश्यक है ताकि अत्यधिक जोखिम-निर्माण न हो पाए।

IV.91 भविष्य में, एक उत्तरोत्तर गतिशील आर्थिक वातावरण में इष्टतम बैंक पूंजी, सख्त कॉरपोरेट अभिशासन के तौर-तरीके और प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियां बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को अधिक सशक्त करने में सहायक होंगी। विशिष्ट खिलाड़ियों के आने से वित्तीय तकनीक में नवोन्मेष के बढ़ने और वित्तीय समावेश के कार्य को और अधिक गति मिलने की संभावना है।